असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

29 मार्च, 2017

षोडश विधान सभा — बुधवार, तिथि 29 मार्च, 2017 ई0
पंचम सत्र — 08 चैत्र, 1939(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: एक संदेश है महोदय ।

अध्यक्ष: संदेश, कहाँ से संदेश आया है ? भाई, कहाँ का संदेश है ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, मैं चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत् 74 के सुअवसर पर हिन्दू वर्ष की शुभकामना सभी माननीय सदस्यों को, पत्रकारों को एवं बिहारवासियों को दे रहा हूँ ।

अध्यक्ष: यह तो हर वर्ष आता है, इस वर्ष, इस तरह के, आप का संदेश पढ़ने का कोई विशेष मकसद है क्या ? वरना यह नवरात्रा ही नहीं, साल में चार नवरात्राएँ आती हैं और सदन की तरफ से सारे बिहारवासियों को चारों नवरात्राओं की शुभकामनाएँ रहती हैं, आज आपके पढ़ने का कुछ विशेष मकसद है क्या ?

अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, किस नियम के तहत विपक्ष के नेता संदेश दे रहे हैं, ये नियमावली भी तो पढ़कर आवें महोदय, यह तो हमेशा आता रहता है ।

अध्यक्ष: अल्पसूचित प्रश्न ।

प्रश्नोत्तरकाल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या: 27 (श्री नंदकिशोर यादव)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री नंदकिशोर यादव जी ने श्री नितीन नवीन जी को प्राधिकृत किया है । दोनों अनुपस्थित हैं ।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या: 1583 (श्री चन्द्रसेन प्रसाद)

अध्यक्ष: यह प्रश्न पूछा हुआ है । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, खण्ड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2: उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि इस क्षेत्र में पानी का मुख्य श्रोत फल्गु नदी एवं भूतही नदी है । भूतही नदी पर लिबड़ी ग्राम के निकट लिबड़ी वीयर अवस्थित है, जिसे भारथु-नंदना

सिंचाई योजना कहते हैं । लिबड़ी वीयर के दायें ओर से दो मुख्य नहर हिलसा पईन एवं बाईसी-तेईसी पईन निकलती है । लिबड़ी वीयर के अप स्टीम में फल्गु नदी पर उदेरास्थान वीयर/बराज अवस्थित है, जिसमें पानी अधिक होने पर लिबड़ी वीयर के कमांड क्षेत्र में कुछ देर से पानी पहुंचता है । खरीफ 2016 में इस वीयर से कुल 2200 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी ।

खण्ड 3: नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने हेतु वर्ष 2016-17 में भारथु-नंदना सिंचाई योजना के तीन पईनों में से हिलसा पईन एवं तेईसी पईन का तल सफाई का कार्य कराया गया है । भारथु-नंदना सिंचाई योजनान्तर्गत शेष नहर के तल सफाई एवं जीर्णोद्धार कार्य का एक विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ को विभागीय पत्रांक-472 दिनांक 21.3.2017 द्वारा निदेशित किया गया है ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: महोदय, जिस बात की चर्चा माननीय मंत्री महोदय जी ने किया, भारथु-नंदना हमारे बगल के माननीय मंत्री वर्मा जी भी जानते हैं, उनका भी क्षेत्र पड़ता है और हिलसा का भी कुछ एरिया पड़ता है । भारथु-नंदना फल्गु नदी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी से काम करता था लेकिन उधर मिट्टी का जमाव हो गया और वह बंद हो गया, तो भारथु-नंदना स्कीम में पानी आना बंद हो गया । महोदय, कुछ जानकारी दे देना जरुरी है, पानी का पटवन जो होता है, जब बाढ़ आता है, फ्लो होता है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये । क्या चाहते हैं ?

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे कि बाईसी तेईसी भारथु-नंदना उबेरास्थान बीयर स्कीम जो लिबड़ी स्कीम से पानी सप्लाई होता है, उसको गर्भी नदी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी उदेरास्थान जो कि चालू होने वाला है, उससे देने का कब तक विचार रखते हैं ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, मैंने बताया माननीय सदस्य को कि जो उदेरास्थान के डाउन स्टीम में है, उसका जो कई पईन है, उसमें से सिल्टेशन है, हमने अभी बताया कि जो दो पईन हैं, उसका डीसिल्टेशन कराया जा चुका है और शेष सभी का डीसिल्ट करने के लिए निदेश दिया जा चुका है ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: महोदय, मैंने अपना सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी के निकट भी रखा था, उन्होंने चीफ इंजीनियर को निदेश दिया था लेकिन महोदय, विभाग के आलाधिकारी इस तरह से सोये हुए थे कि अंत में चीफ इंजीनियर .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अभी क्या आप जानना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रसेन प्रसादः महोदय, चीफ इंजीनियर का वेतन रोकना पड़ा, चूंकि बरसात नजदीक आ गया है, इसलिए हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं .....

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप यह न कहिये कि इस कार्य को जल्दी करा दीजिये ।

श्री चन्द्रसेन प्रसादः महोदय, तो हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इस कार्य को जल्द से जल्द करा दिया जाय ।

अध्यक्षः ठीक है । माननीय सदस्यगण, एक तकनीकी सुधार है, अभी अल्पसूचित प्रश्न था, श्री नंदकिशोर यादव जी का, वह दरअसल कागजात देखने से पता चला कि वह पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए फिर से पूछने की आवश्यकता नहीं थी और वह ग्रामीण विकास विभाग को स्थानान्तरित है, वह प्रश्न अब लेंगे । माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर दीजिये ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्याः 27 (श्री नंदकिशोर यादव)</u>

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2016-17 में इंदिरा आवास योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू किया गया है, जिसका शुभारंभ आज से लगभग चार माह पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 नवंबर, 2016 को किया गया था । आरंभ में राज्य के लिए 4,76,715 लक्ष्य के विरुद्व 3569 करोड़, 63 लाख, 85 हजार रुपये का सेन्ट्रल एलोकेशन संसूचित किया गया था, इसके विरुद्व भारत सरकार ने 1784 करोड़ 82 लाख रुपया विमुक्त किया गया था, राज्य सरकार द्वारा भी अनुपातिक राज्यांश एक लाख, 275 करोड, 66 लाख, रुपये की राशि विमुक्त भी कर दी गयी थी, परन्तु भारत सरकार द्वारा पुनः राज्य के लिए एक लाख, 60 हजार, 943 इकाई आवास का अतिरिक्त लक्ष्य संसूचित किया गया, जिसके लिए केन्द्रांश की राशि के रुप में मात्र एक सप्ताह पूर्व दिनांक 16.3.2017 को 1250 करोड़, 14 लाख, रुपये सेन्ट्रल एलोकेशन संसूचित किया गया है, परन्तु इसे अब तक विमुक्त नहीं किया गया । योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सेन्ट्रल एलोकेशन 4774 करोड़, 18 लाख, रुपये के विरुद्ध प्रथम किस्त की 2387 करोड, 39 लाख, राशि में से मात्र 1784 करोड़, 82 लाख रुपये की ही विमुक्ति की गयी है । इस प्रकार राज्य को केन्द्रांश के रुप में मिलने वाला प्रथम किस्त की 602 करोड़, 57 लाख, रुपये केन्द्र पर बकाया है । योजना के तहत परिवारों के चयन की प्रक्रिया परिवर्तित कर दी गयी है । एस0ई0सी0सी0 2011 के आवास विहीन परिवार के जो ऑकड़े भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये, उसमें काफी त्रुटि थी, जिसके सत्यापन में अधिक समय लगा तथा इसमें भारत सरकार से सुधार के लिए समय-समय पर किये गये अनुरोध पर स्थिति के

निराकरण के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर काफी विलंब हुआ । इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित भारत सरकार से मार्गदर्शिका अत्यन्त देर से दिसम्बर, 2016 में प्राप्त हुई । फलस्वरुप निर्धारित नई प्रक्रिया के अनुसार पात्र परिवारों का चयन एवं प्राथमिकता के निर्धारण में विलंब हुआ है, आवासों की स्वीकृति पूर्ण करते हुए प्रथम किस्त की सहायता राशि लाभुकों के बैंक खाते, इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम से अन्तरित करने की कार्रवाई की जा रही है । लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि भुगतान के एक वर्ष के अंदर मकान का निर्माण कराना है । योजना का 60 प्रतिशत व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ द्वितीय किस्त केन्द्रांश की निधि की विमुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा जायेगा ।

टर्न-2/सत्येन्द्र/29-3-17

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया है महोदय, प्रश्न है कि चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र के द्वारा 32,951 रू0 प्राप्त होना था बिहार को लेकिन राज्य की सरकार द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजने के कारण पैसा पूरा नहीं मिल पाया । हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः नेता प्रतिपक्ष को और सदन को मैंने अध्यक्ष महोदय स्पष्ट बताया है कि जब हम 60 प्रतिशत की राशि खर्च लेंगे, तब हम उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजेंगे । अभी तो हमने इस दिशा में कार्रवाई शुरू की है महोदय और विलम्ब के कारण की भी हमने चर्चा की है और भारत सरकार में भी तो प्रथम किस्त की राशि का बकाया है तो माननीय नेता प्रतिपक्ष से हम आग्रह करते हैं कि वे गरीब गरीब का नाम लेते हैं तो कम से कम प्रथम किस्त की राशि को भिजवा दें महोदय।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर हम राज्य सरकार को सहयोग करेंगे, दिल्ली जाकर बात करेंगे जो राशि बिहार का आवंटित है वह राशि मिले । यदि आप मदद चाहते हैं तो प्रेम कुमार भाजपा, एन0डी0ए0 आपकी मदद के लिए तैयार है । हम चलेंगे और चलकर माननीय मंत्री से बात कर के प्रयास करेंगे ।

अध्यक्षः साथ ही जाने की कोशिश कीजिये ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः अच्छा रहेगा महोदय, तैयार हैं चलने के लिए, चलियेगा साथ में ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः हुजूर,हुजूर...

अध्यक्षः बिहार के गरीबों के उत्थान के लिए उनको सहायता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का साथ हो जाना, यह कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात भी नहीं है । यह दोनों को साथ मिलकर करना चाहिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो प्रस्ताव है महोदय, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ और समय का निर्धारण करूंगा लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूँ कि बिहार की सरकार लगातार पत्राचार के माध्यम से और मंत्री समूह की जो बैठक हुई थी उसमें भी सवाल को उठाया था कि सामाजिक, आर्थिक जनगणना के आधार पर जो गरीबों के आवास का चयन होना है और लगातार केन्द्र सरकार अपने संसाधन की कटौती कर रही है और राज्यों पर अधिक बोझ डाल रही है, पहले 25 प्रतिशत देना पड़ता था और अब राज्य को 40 प्रतिशत देना पड़ रहा है, इन सारे विषयों पर चलकर के माननीय प्रतिपक्ष के नेता के साथ हमलोग बात करेंगे और जिनका नाम छूटा हुआ है उसको जोड़वाने की दिशा में हमलोग समेकित रूप से पहल करेंगे नेता प्रतिपक्ष के साथ ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः महोदय, हम विकास पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं । हम दलीय भावना से ऊपर उठकर राज्य के विकास में, सरकार माननीय मुख्यमंत्री तैयार हों तो चले शिष्टमंडल, जो कमी है हम सब मिलकर के केन्द्र सरकार से आग्रह करेंगे प्रयास करेंगे कि बिहार को ..

अध्यक्षः ठीक है।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दलः एक अंतिम सवाल है महोदय..

अध्यक्षः पूरा सदन और आसन इसको अच्छी पहल मानता है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः और महोदय हम कहना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय से हमारा जानना है कि चालू वित्तीय वर्ष में चार महीना पहले जो राशि प्राप्त आपको हुई , जिसका आंकड़ा आप दे रहे थे जो राशि आपने प्राप्त किया अब बताईए कि चार महीने में बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान बनवाने का सरकार ने काम किया है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता और सदन को भी मैंने पूरी तरह से सारी बातों को अपने उत्तर में बताया है, विस्तार से हमने कहा है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण और जो हमारा सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुए हैं 2011 में, उसमें कई प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी है जिसके कारण बिलम्ब हुआ और प्रधानमंत्री जी ने 20 नवम्बर को इन्होंने आगरा से लॉंच किया महोदय और अभी भी 350 ऐसे ग्राम पंचायत है बिहार में जिसके आंकड़े अभी भी उपलब्ध ठीक से नहीं है, उनकी भी शुद्धिकरण की दिशा में राज्य सरकार से पहल चल रही है और हम लगातार लगे हुए हैं और गरीबों के मकान की जो चिन्ता है उसको दूर करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1585(श्री मदन मोहन तिवारी)

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत स्थानों पर यह पथ एवं पुल से संबंधित है। (1) मंझौलिया प्रखंड के बखरिया पंचायत के सामने केशव वन ग्राम के समीप कोहड़ा नदी की चौड़ाई 60 मीटर है । यह पथ पी0एम0जी0एस0वाई0 कोर नेटवर्क में सम्मिलित है । पथ के डी0पी0आर0 का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है एवं स्वीकृति की प्रक्रिया में है । इस पथ के दूसरे कि0मी0 पर पुल की आवश्यकता है जो पी0एम0जी0एस0वाई0 मिसिंग ब्रिज अन्तर्गत सम्मिलित है । पुल का सर्वे हो चुका है तथा डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है । भारत सरकार के स्वीकृति उपरांत पथ एवं पुल का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

(2) बखरिया से धबईया पथ, इस पथ की लं0 3.55 कि0मी0 है जिसका निर्माण एम0एम0जी0एस0वाई0 से वित्तीय वर्ष 2007–08 में पूर्ण कराया गया था । पथ श्रेणी–1 की अहर्त्ता नहीं रखता है । निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ का मरम्मति कार्य कराया जा सकता है । इस पथ पर 4 मीटर लंबा पुलिया क्षतिग्रस्त है जो सिंचाई विभाग के अधीन है । सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने तथा निधि की उपलब्धता पर पुल का निर्माण कराया जा सकेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2073(श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः समय चाहिए।

तारांकित प्रश्न संख्या– 2763(श्री राज कुमार राय)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत बिथान प्रखंड के मरथुआ पंचायत में स्थित सोन चौर के लगभग 85 प्रतिशत भू–भाग में वर्त्तमान में गेहूं एवं मकई के अच्छी फसल लगी हुई है । सोन चौर का लगभग 85 प्रतिशत पानी गगनी चौर कठौतिया चौर और पहेल चौर होते हुए पूर्व निर्मित जल निकासी नाला के द्वारा पचैला चौर होते हुए पुरानी बागमती नदी होते हुए संतोष स्लूईस के माध्यम से बागमती नदी में प्रवाहित हो जाता है । चौर के शेष भाग 15 प्रतिशत भू–भाग में औसतन 2.5 फीट पानी लगा रहता है जिसकी जल निकासी कराना तकनीकी एवं आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है । इस क्षेत्र में जलीय कृषि ही किया जा सकता है ।

श्री राज कुमार रायः महोदय, वहां से रिपोर्ट जो माननीय मंत्री जी को दिया गया है, महोदय, अभी भी वहां पर सैंकड़ों एकड़ में पानी है, मैं माननीय मंत्री ..

अध्यक्षः राज कुमार जी, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 15 प्रतिशत भू–भाग में पानी है ।

श्री राज कुमार रायः उससे भी ज्यादा है महोदय, 15 प्रतिशत से भी ज्यादा है ।

अध्यक्ष: मान लीजिये 20 परसेंट है लेकिन उनका कहना है कि अब जितना में पानी है उसका डेप्थ एरिया भी न होता है, कितना डीप में है, उसका जल निकासी संभव नहीं है इसलिए उसमें वाटर बडी के जो विकास के लिए कार्यक्रम होते हैं वह चलाने होंगे । जल निकासी संभव नहीं है । यह माननीय मंत्री जी ने बतलाया ।

श्री राज कुमार राय: तो वह भी कराने का माननीय मंत्री जी विचार रखते है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2764(श्री अत्री मुन्नी उर्फ शक्ति सिंह यादव)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड अन्तर्गत तेतरिया ग्राम के पास मोहाने नदी से नोनाई नदी मिश्रित होती है एवं अंतत: धुंआ नदी में मिल जाती है । यह बरसाती नदी है कलिया चक करियामा पुल तक नदी में आंशिक रूप से गाद जमा है । मुख्य अभियंता, पटना को विभागीय पत्रांक 1419 दिनांक 27-3-17 से स्थल के सर्वेक्षणोपरांत तकनीकी संभाव्यता की जांच हेतु निर्देशित किया गया है ।

श्री अत्री मुन्नी उर्फ शक्ति सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से स्पष्ट किया है कि कलिया चूंकि पंचमुहा से निकलकर के आती है और बरसाती नदी है तो कलिया चक से करियांमा तक जाने वाली वह लगभग चार कि.मी. का रेडियश का वह है और गाद भर जाने के कारण बरसाती नदी जब आता है तो धान के फसल के समय पानी खेतों तक नहीं पहुंचता है तो तकनीकी जांच के संदर्भ माननीय मंत्री जी ने विभाग के मुख्य अभियंता को कहा है तो हमारा सवाल है बरसात के पहले इस कार्यक्रम को कराने का विचार रखते हैं माननीय मंत्री जी ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, इसलिए तो मैंने कहा कि उसकी जांच करेंगे कि कितना गाद जमा है, उसका डी0पी0आर0 बनायेंगे, उसके बाद ही न उस पर आगे की कार्रवाई होगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2765(श्री राम सेवक सिंह)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री: आंशिक रूप से स्वीकारात्मक हैं । गोपालगंज जिला के हथुआ विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड फुलवरिया के ग्राम पंचायत राज गिधा में मीरगंज बागीपट्टी समौर पथ के 21 वें कि.मी. में जल संसाधन विभाग द्वारा गंडक वितरणी नहर पर निर्मित पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है । पुल की चौड़ाई मात्र 4.20 मीटर है । पुल संकीर्ण रहने के कारण वाहनों के ठोकर लगने से पैरापेट वाल भी क्षतिग्रस्त हो गया है । यह पुल जल संसाधन विभाग द्वार नहर पर निर्मित है और पुल के ऊपर से वाहनों का आवागमन चालू है । (क्रमश:)

टर्न-3/मधुप/29.03.2017

...क्रमशः ....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : इस पुल का रख-रखाव पूर्व से जल संसाधन विभाग द्वारा ही किया जाता था, परन्तु क्षतिग्रस्त पैरापेट वॉल की मरम्मति अद्यतन करने की कार्रवाई नहीं की गई ।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज को निर्देशित किया गया है कि जल संसाधन विभाग के स्थानीय कार्यपालक अभियंता को सूचना देते हुये सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्षतिग्रस्त पैरापेट वॉल की मरम्मति तत्काल करा दें । इस स्थल पर एक 10 मीटर लम्बाई में और 10 मीटर चौड़ी पुल बनाने की आवश्यकता है । जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर अगले वित्तीय वर्ष में इस स्थल पर पुल का निर्माण करवाया जायेगा ।

श्री रामसेवक सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पुल को क्षतिग्रस्त होने से सैकड़ों बार दुर्घटनाएँ घटी हैं और दर्जनों लोगों की वहाँ मृत्यु हो चुकी है । हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कबतक कराना चाहते हैं ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इरीगेशन डिपार्टमेंट से ही इसको देखा जाता है, हमारे अभियंता ने इरीगेशन डिपार्टमेंट के अभियंता को भेजा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका तबतक मरम्मति करा दिया जाय ।

इसके बगल में ही 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लम्बा एक पुल के निर्माण की बात है, अनापत्ति प्राप्त होते ही नया पुल का भी निर्माण कराया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2766 (श्रीमती सावित्री देवी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-2766 में जो प्रश्न किया गया है, सामुदायिक भवन निर्माण की योजना कोई ग्रामीण विकास विभाग में नहीं है । ग्रामीण विकास विभाग सामुदायिक भवन की योजना नहीं चलाती है । मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में माननीय सदस्या अनुशंसा करेंगी तो सामुदायिक भवन का निर्माण और यात्री शेड का भी निर्माण उनके अनुशंसा से किया जा सकता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2767 (श्री सदानन्द सिंह)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । बाँका जिला के ग्राम बरौनी स्थित कतरिया नदी पर निर्मित छिटका पर डेटम वॉल को बरकरार रखने या तोड़ने पर स्थानीय विवाद है तथा पूर्व के वर्षों में इस विवादित संरचना को तोड़ने हेतु कार्रवाई की गई है जो असफल रहा है ।

अतः भागलपुर जिला के जगदीशपुर, गोराडीह एवं सबौर प्रखंडों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अन्य विकल्पों पर विचार कर योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर को विभागीय पत्रांक 493 दिनांक 25 मार्च, 2017 द्वारा निदेशित किया गया है । चन्दन जलाशय योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु विभागीय पत्रांक 263 दिनांक- 20 फरवरी, 2017 द्वारा 5732.55 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है । योजना के कार्यान्वयन हेतु निविदा दिनांक 27.04.2017 को प्राप्त की जा रही है ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि 26.9.2013 को भागलपुर के आयुक्त की अध्यक्षता में तकनीकी और जन-प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी । उस आलोक में 22.10.2013 को आयुक्त, भागलपुर ने तकनीकी समिति बनाई थी जिसमें मुख्य अभियंता, भागलपुर, अधीक्षण अभियंता, भागलपुर, कार्यपालक अभियंता, भागलपुर और बौंसी के कार्यपालक अभियंता तथा काडा के कार्यपालक अभियंता की एक तकनीकी समिति बनाई थी और उस तकनीकी समिति का प्रतिवेदन भी जल संसाधन विभाग को उपलब्ध है । उस आलोक में जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल संख्या-3, जल संसाधन विभाग, पटना ने वहाँ के अधीक्षण अभियंता को कार्रवाई करने के लिये और उस डेटम वॉल को तोड़कर उस पर जो स्ट्रक्चर बनाने की बात है, उस हेतु 03.8.2015 को ही लिख चुके हैं ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं और इस पूरे घटनाक्रम में माननीय सदस्य उसके भागीदार रहे हैं । इसलिये माननीय सदस्य को यह पता है कि यह विवाद 1983 से है । 1983 में वहाँ डेटम वॉल बना दिया कुछ लोगों ने, अनुमंडल पदाधिकारी, बाँका ने 1983 में ही डेटम वॉल को तोड़ा, फिर उसपर स्थानीय लोगों ने डेटम वॉल बना दिया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, 1983 में माननीय सदस्य किस हैसियत से थे ?

श्री सदानन्द सिंह : 1983 में हम हट गये थे ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : फिर 1992 में बना दिया, फिर अनुमंडल पदाधिकारी ने जाकर उसको तोड़ा, फिर उसपर बना दिया गया । यह बात भी सही है, माननीय सदस्य ने बताया कि जो तत्कालीन आयुक्त थे भागलपुर के, उन्होंने एक तकनीकी समिति बनाई और उस तकनीकी समिति ने एक अनुशंसा किया कि 3.5 फीट ऊँचा डेटम वॉल बना दिया जाय ताकि उससे उस इलाके में पानी की व्यवस्था हो सके । उस समय जो समिति के सदस्य थे, अधीक्षण अभियंता जो सिंचाई विभाग के थे, उन्होंने ही यह सूचित किया कि यह कार्य लघु जल संसाधन विभाग के क्षेत्र में है । माननीय सदस्य को विभाग के द्वारा 20.9.2016 को इससे अवगत करा दिया गया कि यह परिस्थिति है, यह लघु जल संसाधन विभाग के क्षेत्राधीन है ।

पुनः इनका अनुरोध आया है इसलिये कहा कि मैंने निर्देशित किया है । इस प्रश्न के उत्तर की जब समीक्षा मैं कर रहा था, हम इसके विस्तार में गये हैं और हमने निर्देश दिया है कि उसपर हाई डेटम वॉल बनाने या कोई भी जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, उस व्यवस्था पर वहाँ के मुख्य अभियंता जो अभी हैं, वह उसपर रिपोर्ट करेंगे और जो भी उसके लिये आवश्यक कार्रवाई होगी, वह कार्रवाई करेंगे । अगर कोई संभाव्यता नहीं होगी तो फोर्स लगाकर हम माननीय सदस्य को भी कहेंगे कि वह उपस्थित रहें, हम फोर्स लगाकर भी पुराने स्ट्रक्चर डेटम वॉल को तोड़वायेंगे ।

श्री सदानन्द सिंह : बहुत धन्यवाद । एक सिर्फ जानकारी लेनी थी माननीय मंत्री जी से अध्यक्ष महोदय, कि इन्होंने मुख्य अभियंता को कोई निर्देश दिया है समय-सीमा निर्धारित करके कि इतने दिनों के अन्दर जाँच प्रतिवेदन वगैरह दे दें ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि जब हम निर्देश देते हैं तो उसका रेगुलर मोनिटरिंग भी हम करते हैं ।

श्री सदानन्द सिंह : अवगत जरूर हैं लेकिन हेतु-हेतु मदभूत से नहीं न होगा, समय बताइये न !

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : आप निश्चिंत रहिये ।

अध्यक्ष : माननीय सदानन्द बाबू, अब तो सरकार आपकी उपस्थिति में आपकी माँग पूरा करना चाहती है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2768 (श्री विद्या सागर सिंह निषाद)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन स्थल पर पी0एम0जी0एस0वाई0 से निर्मित पथ एन0एच0-103 विक्रमपुर से सारंगपुर पथ में जमुआरी नदी पर अवस्थित है । यहाँ पर पुलिया निर्मित है । बरसात के दिनों में अधिक वर्षा होने पर पुलिया के उपर पानी का बहाव होने के कारण आवागमन बाधित होता है ।

इस स्थल पर पुल निर्माण हेतु चेकलिस्ट की माँग की गई थी । चेकलिस्ट प्राप्त हो चुका है जिसकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायगी ।

श्री विद्या सागर सिंह निषाद : महोदय, कबतक मंजूर हो पायेगा ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, हमने कहा कि चेकलिस्ट आने के बाद तकनीकी समीक्षा करके इसको कर लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2769 (श्री मो0 नेमतुल्लाह)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 1.3 कि0मी0 है, जो आंशिक कच्ची एवं ईंटकृत है । पथ का 400 मीटर पथांश निजी जमीन है । इस पथ के मार्गरेखण में कोई योग्य बसावट नहीं है । पथ को किसी भी कोर-नेटवर्क में

सम्मिलित नहीं किया गया है । परशुरामपुर ग्राम को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पथ से सम्पर्कता प्राप्त हो जायेगा एवं गोविन्दपुर को पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत दुलदुलिया से गोविन्दपुर पथ को सम्पर्कता प्रदान करना प्रस्तावित है । भारत सरकार के स्वीकृति के उपरांत निर्माण कार्य कराया जा सकेगा । अतः प्रश्नाधीन पथ निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, यह मुख्य सड़क है । सरकार की यह पॉलिसी है कि जो प्रखंड मुख्यालय है उससे जोड़ना है सारे सड़कों को । यह भारत सरकार और बिहार सरकार के दोलन-पत्ती पर डाल दिये इस सड़क को, तो इस सड़क के बारे में माननीय मंत्री कुछ विचार रखते हैं ? उसमें तो यह भी विचार है माननीय मंत्री जी, कि जो निजी जमीन है, उसको भी अधिग्रहण करके रोड में शामिल करना है । तो यह सब विचार रखते हैं माननीय मंत्री जी ?

टर्न-4/आजाद/29.03.2017

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, तत्काल हमलोग जी0टी0एस0 एंड वाई0 में ही जमीन का परचेज करते हैं लेकिन माननीय सदस्य का जो कहना है महोदय, उसमें 400 मीटर पर उनकी निजी जमीन है उनके मार्गरेखन पर और दूसरी बात है कि वह पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत दुलदुलिया से गोविन्दपुर में है, उसको हमलोग सम्पर्कता दे देंगे लेकिन उसके लिए भारत सरकार चूँकि पी0एम0जी0एस0वाई0 में है तो भारत सरकार के स्वीकृति के उपरान्त ही हम उसको करायेंगे महोदय ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2770(श्री सुधांशु शेखर)</u>

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, 1. अस्वीकारात्मक है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है । पथ खराब है परन्तु आवागमन चालू है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 115 कि0मी0 है । यह पथ बेंगरा से पखरौनी के नाम से शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 से निर्माणाधीन है । पथ का निर्माण कार्य मई, 2017 तक पूर्ण करा लिया जायेगा ।

श्री सुधांशु शेखर : धन्यवाद मंत्री महोदय जी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2771(श्री अभय कुमार सिन्हा)</u>

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

3. प्रश्नगत दोनों पथ श्रेणी–2 में शामिल है । निधि की उपलब्धता के आधार पर मरम्मती कार्य कराया जा सकेगा ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, होस्पीटल मोड़ इच्छापुर वाला पथ जर्जर है, यह चूँकि टेकारी अनुमंडल पड़ता है, वहां पर मुख्यालय है टेकारी और टेकारी अनुमंडल में दो प्रखंड मुख्य रूप से परैया और गुरारू और कोच का कुछ भागों का आवागमन इसी इच्छापुर से होते हुए टेकारी होस्पीटल मोड़ के तरफ जाता है । इसलिए मेरा आग्रह होगा कि दोनों पथों को एक तो सिंघड़ा वाला पथ है, यह औरंगाबाद बोर्डर से सटा हुआ पथ है । इसलिए हमारा आग्रह होगा कि इसको प्राथमिकता के आधार पर इन दोनों पथों की मरम्मती करायी जाय महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0–2772(श्री विनय बिहारी)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–2773(श्री अशोक कुमार चौधरी)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना से दिनांक 3.5.2016 को पूर्ण कराया गया है । बरसात में इस पथ के एक स्थान पर निर्मित पुलिया के पहुँच पथ के फ्लैंक में आंशिक रेनकट हो गया था, जो अब ठीक करा दिया गया है । अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर को पथ की गुणवत्ता की जॉच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है । तत्पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0–2774(श्री मिथिलेश तिवारी)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि दोनों पथों का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रक्रियाधीन है तो माननीय मंत्री जी यह तो बताये कि कब तक इन दोनों सड़कों का कार्य पूरा करायेंगे ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, हमने बताया है कि दोनों पथों का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है, अब आगे की कार्रवाई जल्द ही कर देंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारे प्रश्न में ही है कि प्राक्कलन आपके पास आ चुका है लेकिन मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि यह सड़क बनेगी कब, माननीय मंत्री जी प्रक्रिया तो 5 साल तक चलता रहेगा । मेरा प्रश्न यह है कि आप यह बताये सदन में, माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि

मंत्री जी बताये कि 2 महीना में बनायेंगे, 3 महीना में बनायेंगे, यह माननीय मंत्री जी बतायें ।

अध्यक्ष : कब तक उम्मीद है बता दीजिए ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : 4-5 महीना में महोदय ।

अध्यक्ष : इसी बात को आप अगला वित्तीय वर्ष भी कह सकते थे ।

तारांकित प्रश्न सं0-2775(श्रीमती कुंती देवी)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि एल-35 जेठीयन-चकरा रोड से फिल्ड हरिजन टोला तक नुनाटॉड़ से भोजपुर एवं चकरा से जाजपरसा पथ का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किया जा रहा है, जिसका पैकेज सं0 -बी0आर-12/443 है, वह स्वीकारात्मक है ।

मुख्य अभियंता-1 से अपने पत्रांक-1081 दिनांक 27.3.2017 से अधीक्षण अभियंता से जॉच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का पत्र दिया गया है । जॉचोपरान्त यथोचित कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती कुंती देवी : कब तक सर ?

अध्यक्ष : जल्दी करवा देंगे ।

आपका दूसरा प्रश्न है ।

श्रीमती कुंती देवी : जी ।

अध्यक्ष : पथ निर्माण विभाग ।

तारांकित प्रश्न सं0-2776(श्रीमती कुंती देवी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : स्वीकारात्मक है । ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य विभागों के पथों को पथ निर्माण विभाग के अधिग्रहण हेतु विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका संकल्प सह पठित ज्ञापांक-935 दिनांक 7.2.2017 में निर्धारित मापदंड को पूरा करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु गठित समिति द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जायेगा । समिति की निर्णय एवं निधि की उपलब्धतता के बाद ही विभाग में अधिग्रहण पर विचार करना संभव होगा । वर्तमान में इस पथ को पथ निर्माण में अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2777(डॉ0 रामानुज प्रसाद)

श्री कपिल देव कामत,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 में ''ग्राम कचहरी और उसकी न्यायपीठों की स्थापना, शक्तियॉ, कर्त्तव्य और प्रक्रिया'' से संबंधित

धारा-90 से 122 (अध्याय-vi) में ग्राम कचहरी से संबंधित दाण्डिक एवं सिविल अधिकारिता संबंधी मामले का विचारण ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है । ग्राम कचहरी द्वारा सामान्य प्रकृति के आपराधिक एवं अन्य मामलों पर विचारण किया जाता है तथा वादों का निपटारा अधिकांशतः आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है । ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच एव पंच स्थानीय ग्रामीण ही होते हैं तथा ग्रामीणों द्वारा ही निर्वाचित होते हैं । ऐसी दशा में गृह रक्षकों की ग्राम कचहरी में तैनाती का आधार नहीं है ।

उपर्युक्त के आलोक में ग्राम कचहरी में सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हम अपने क्षेत्र की घटना को माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वहां विवाद हुआ पंचायत करने के दरम्यान और वहां इतना विवाद बढ़ा कि वहां खून की नदी बह जाती । इसको देखते हुये मैंने कहा कि वहां पर प्रतिनियुक्ति की जाय कम से कम होमगार्ड की, अगर सरकार वहां बिहार पुलिस नहीं दे सकती है तो वहां कम से कम होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति हो पंचायत के ग्राम कचहरियों में ?

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, डॉ0 रामानुज बाबू ने जो कहा है तो क्या सरकार खून की नदी बहने पर सुरक्षाकर्मी की तैनाती करेगी ?

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि खून की नदी बहने पर करेगी, ऐसी बात नहीं है । सरकार ने कहा है कि पंचायत में सरपंच के यहां आपसी समझौते के लिए बुलाया जाता है, कोई कानून को इनफोर्स करने के लिए नहीं बुलाया जाता है कि वहां पर पुलिस की जरूरत है । समझौते में फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सो सरकार ने कहा है ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, घटना घट गई है, उन्होंने चिन्ता की है कि वहां खून की नदी बह जाती तो क्या वहां खून की नदी बहने के बाद सरकार सोचेगी महोदय ? हमारा आग्रह होगा कि .....

अध्यक्ष : प्रश्न सं0-2778, पंचायती राज विभाग ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2778(विजय कुमार विजय)</u>

श्री कपिल देव कामत,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी, पटना के पत्रांक-127, दिनांक 05.10.2016 द्वारा विश्व बैंक की सहायता से मधुबनी जिला के लिए 25 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों के मुख्यालय ग्राम में 1 एकड़ (क्षेत्रफल-180X220फीट) भूमि का चयन कर विहित प्रपत्र में प्रस्ताव मांगी गयी है । प्राप्त प्रतिवेदनानुसार मधुबनी जिला के लदनियां प्रखंड से अभी तक एक भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

टर्न–5/अंजनी/दि0 29.03.2017

तारांकित प्रश्न सं0–2779(श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि इन्डो–नेपाल बोर्डर पथ के अधीन फुलवरिया घाट से बहार बहेड़ा ग्राम तक 24 किलोमीटर पथ एवं तीन उच्चस्तरीय पुलों सहित कार्य के एकरारनामा की राशि 64 करोड़ 38 लाख रूपये मात्र है । एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 07.01.2013 एवं पूर्णता की तिथि 06.09.2014 था । ललबकेया नदी के फुलवरिया घाट पर स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा के अनुसार 3x40 मीटर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण करना था, परन्तु वर्ष 2013 के बाढ़ में नदी के कटाव हो जाने के कारण इस स्थल पर 4x40 मीटर पुल निर्माण करने का निर्णय लिया गया। इस कारण से पुल निर्माण में विलम्ब हुआ है । पथ एवं इस भाग में चार अद्द उच्चस्तरीय पुलों उक्त तीन पुलों के अतिरिक्त एक और पुल का निर्माण जून, 2018 तक पूर्ण करा लेने का लक्ष्य है ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, निर्माण अवधि के अन्दर संवेदक द्वारा उक्त पुल का निर्माण आजतक नहीं किया गया है, ज्ञात हो कि पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर को जोड़नेवाली एकमात्र सड़क है । उक्त पुल के निर्माण होने से नेपाल की भी दूरी कम हो जायेगी तथा सामरिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि उक्त पुल का कार्य वर्ष 2013 में प्रारंभ हुआ और उसे वर्ष 2015–16 में पूरा करना था लेकिन महोदय चार वर्ष होने जा रहा है, आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ है तो चार वर्षों में सरकार कौन सी कारगर कदम उठायेगी, यह सदन को बतायें ।

अध्यक्ष : सुनीता जी, सरकार ने सारी बातों को विस्तार से बताया है कि क्यों देर हुई, पुल का डिजाईन बदला गया, बड़ा किया गया और जून 2018 तक कार्य सरकार पूरा कर देगी। सरकार ने सब कुछ बता दिया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2780(श्री कुमार सर्वजीत)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, 1– स्वीकारात्मक है ।

2– उक्त वर्णित पथ कच्चा है । टनकुप्पा प्रखंड के करियादपुर पथ से बनाही ग्राम तक सड़क राज्य कोर नेट वर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 क्रमांक–9 पर अंकित है, जिसकी आबादी 301 है, सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2781(श्री कृष्ण कुमार ऋषि)

श्री कपिल देव कामत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय,, क– स्वीकारात्मक है ।

ख– विगत वर्षों से पानी का निकास रैयती जमीन पर होता है । निजी जमीन के भू–धारकों द्वारा अपने जमीन में पानी जाने से रोकते हैं तो जल–जमाव होता है अन्यथा नहीं होता है ।

ग– परमान टोला से लाला टोला की ओर जाने वाली जमीन का स्तर उंचा है एवं ईंट सोलिंग पी0सी0सी0 किया हुआ है, दूसरी तरफ ढ़लान में पानी निकालने में सभी रैयती जमीन है । सहमति बनने के बाद ही नाला निर्माण किया जा सकता है । ज्ञातव्य हो कि मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना अभी बंद है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2782 (श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिले के चिरैया प्रखंड में स्थित चिरैया वितरणी एवं इससे निस्सरित रघुनाथपुर उप वितरणी, विक्रमपुर उप वितरणी, मिसरौलिया उप वितरणी, धनौजी उप वितरणी एवं पकड़ीदयाल उप वितरणी के नहर का बांध सुदृढ़ है तथा नहर तल में गाद नहीं भरा है । चिरैया वितरणी से निस्सरित विक्रमपुर उप वितरणी एवं इससे निस्सरित लघु नहरों एवं उप लघु नहरों में आंशिक रूप से जमे गाद एवं जंगल सफाई कार्य वित्तीय वर्ष 2017–18 में कराये जाने का कार्यक्रम है । इस संबंध में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतीहारी को विभागीय पत्रांक 323 दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा चिरैंया वितरणी के नहर बांध का सुदृढ़ीकरण कार्य एवं इससे निस्सरित नहरों में शेष बचे हुए नहर का गाद एवं जंगल सफाई कार्य वित्तीय वर्ष 2017–18 में कराने का निर्देश दिया गया है ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अभी भी चिरैया प्रखंड में पानी पहुंचा, तटबंध इतना खराब है कि टूटकर सैकड़ों बीघा जमीन पट जाता है, जिससे सिंचाई नहीं हो पाती है, फसल बर्बाद हो जाती है तो मंत्री महोदय इसको कबतक करा देंगे ? तटबंध को बनाकर फ्रेस करा दें, जिससे पानी आगे बढे, किसान को सिंचाई मिले । नहीं तो पानी वहीं पर रह जाता है और फसल बर्बाद हो जाती है ।

अध्यक्ष : इसके लिए आपका पूरक क्या है ?

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : महोदय, पूरक यही है कि वह कबतक हो जायेगा, कबतक उस बांध को कम्पलीट करा देंगे ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य, अगर उत्तर सुने होते तो यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होती । मैंने उत्तर में कहा है कि गाद एवं जंगल सफाई और सुदृढ़ीकरण कार्य वित्तीय वर्ष 2017–18 में कराने का निर्देश दिया जा चुका है ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, चिरैया से जो नहर आती है, वह हमारे क्षेत्र तक आता है, इसमें विभाग के चीफ इंजिनियर का कहना है कि .....

अध्यक्ष : विभाग का कहना है, कौन आपको क्या कहा, विभाग तो यहां कह रही है कि हम वर्ष 2017-18 में करा देंगे । आप बाकी आदमी की बात क्यों सुनते हैं ? अब इसके बारे में कुछ भी होगा तो माननीय मंत्री जी को सूचित कर दीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2783(श्री अब्दुस सुबहान)

श्री शैलेश कुमार : महोदय, क- स्वीकारात्मक है ।

ख- स्वीकारात्म्क है ।

ग- वस्तुस्थिति यह है कि प्रसंगाधीन पथ टी-05 बड़ेली एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 माला सकरवलिया सड़क में मिट्टी का कार्य कराने के बाद संवेदक के द्वारा कार्य बंद करा दिया गया है । संवेदक को कार्य शुरू करने के लिए कई बार निर्देशित किया गया है तथा उन्हीं को डिबार्ड किया जा चुका है । एकरारनामा विखंडित करने की कार्रवाई की जा रही हे ।

श्री अब्दुस सुबहान : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 में कार्य शुरू हुआ और वर्ष 2015-16 में पूरा होना था । 2015-16 में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी । अभी जब हमने प्रश्न किया तो उसपर एग्रीमेंट किया ठीकेदार ने और एग्रीमेंट के बाद जब काम शुरू कर दिया तो काम शुरू करने के बाद डिबार्ड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं । जब काम ठीकेदार के द्वारा शुरू कर दिया गया तो इस कार्य को समाप्त करने का आदेश दिया जाय, इसलिए इस कार्य को कराया जाय ।

अध्यक्ष : आप प्रश्न में संवेदक पर कार्रवाई चाह रहे थे, अब आप चाहते हैं कि जब वह काम शुरू कर दिया है तो उनको काम करने दिया जाय ।

श्री अब्दुस सुबहान : अध्यक्ष महोदय, जी हां, अगर यह प्रक्रिया में आ जायेगा तो फिर दो साल लग जायेगा।

अध्यक्ष : इसको मंत्री जी देख लीजियेगा ।

श्री अब्दुस सुबहान : महोदय, उसने काम प्रारंभ कर दिया है, एग्रीमेंट दिया है, एकरार किया है कि तो फिर इसको काम करने दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2784(श्री मिथिलेश तिवारी)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि मीरा टोला से खजुहट्टी पथ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन है । सिंघाशनी मंदिर खजुहट्टी पुराना पी0सी0सी0 पथ से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है । जो आंशिक कच्ची एवं ईंटकृत है, पथ का डी0पी0आर0 बनाने का निर्देश दिया जा रहा है ।

श्री मिथिलेश तिवारी :अध्यक्ष महोदय, यह वह जगह है जिसका मैंने उल्लेख किया है । जहां महाभारत काल में पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था और देवघर के बाद अगर सर्वाधिक भीड़ होती है तो उसी मंदिर के पास होती है और मंदिर को जोड़नेवाली जो दोनों सड़क है, वह अभी पंचायत से ईंटाकरण हुआ है पिछले साल लेकिन वहां के लोगों की मांग है कि चूंकि वहां अगल-बगल के दस जिलों से कांवरिया आते हैं....

अध्यक्ष : सरकार कह रही है कि करा रहे हैं ।

श्री शैलेश कुमार : महोदय, डी0पी0आर0 के लिए कह चुके हैं ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, डी0पी0आर0 बना रहे हैं लेकिन माननीय मंत्री जी इसकी समय-सीमा बतायें कि वे कबतक बना देंगे ?

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2785(श्री अब्दुस सुबहान)</u>

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि यह प्रश्न दो पथों से संबंधित है, जिसकी स्थिति निम्नवत है । कौवानगर से पहड़िया पथ, उक्त पथ की कुल लम्बाई 662 मीटर है । पथ के आरेखन में 400 मीटर निजी जमीन होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया गया ।

2- शाहपुर से खुटिया पथ, उक्त पथ की कुल लम्बाई 1.99 किलोमीटर है। पथ के आरेखन में 800 मीटर में निजी जमीन होने के कारण एकरारनामा नहीं किया गया है । उक्त दोनों मामलों मे बिना भूमि की उपलब्धता से पथ निर्माण कराना संभव नहीं होगा । अतः रैयतों से अनुरोध किया जा रहा है ।

श्री अब्दुस सुबहान : अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष 2014-15 की योजना है और 2015-16, एक साल यह बीच में चला गया, अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि धारा-137 के तहत एस0डी0ओ0 को अधिकार है कि वह कार्रवाई करे । सभी सहमत हैं, सभी भू-दाता सहमत है, जब सब सहमत हैं तो फिर इसके बावजूद सड़क का निर्माण, जमीन का अधिग्रहण क्यों नहीं किया गया ?

अध्यक्ष : सभी भू-धारी अगर सहमत हैं तो उनको सरकार के नाम से रजिस्ट्री कर देना चाहिए तभी तो सरकार बनायेगी ।

श्री अब्दुस सुबहान : रजिस्ट्री नहीं कराने की बात है सर ।

अध्यक्ष : अब तो कोर्ट के निर्णय के अनुसार, बार-बार डायरेक्शन दिया है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी ने कि जो स्थल या भूमि सरकार के नाम से जबतक निबंधित नहीं होगी तबतक सरकार उसपर कोई संरचना नहीं बना सकती है, इसलिए अगर भू-धारी सहमत है अब्दुस सुबहान जी और आप अगर सड़क बनाना चाहते हैं तो पहले जमीन उपलब्ध कराइए ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य इसका वहां पर पहल कर लें और रजिस्ट्री करा दें, हम तो तैयार हैं बनाने के लिए ।

श्री अब्दुस सुबहान : महोदय, मुझे इसमें यह कहना है कि सभी भूधारी सहमत नहीं होते हैं, उसमें एक-दो सहमत नहीं होते हैं । जब दस सहमत है, एक सहमत नहीं है तो एक की असहमति के कारण उसपर कोई तो आदेश होना चाहिए ?

टर्न-6/शंभु/29.03.17

अध्यक्ष : मंत्री जी, उसकी आप समीक्षा कर लीजिएगा।

श्री अब्दुस सुबहान : महोदय, इस पर हम कहेंगे यह दो सड़क है.....

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : जब तक पहल नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, उस सबसे रजिस्ट्री करवा दें, हम पथ बनाने के लिए तैयार हैं।

श्री अब्दुस सुबहान : इसको मंत्री जी देख लें यह गंभीर मुद्दा है- 3 हजार आबादी को निकलने का एक मात्र यही रास्ता है और इस रास्ते को सरकार अगर नहीं बनाती है तो 3 हजार लोगों के निकलने का कोई रास्ता नहीं है।

अध्यक्ष : इसीलिए तो सरकार को पहल करने के लिए कहा गया है, अगर गंभीर मुद्दा नहीं रहता तो क्यों कहा जाता।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2786(श्री सदानन्द सिंह)</u>

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ सनोखर गांव के अंदर का पथ है, जिसके कारण कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है। सनोखर गांव को संपर्कता प्राप्त है। प्रश्नाधीन पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महोदय, यह गांव के अंदर का भाग है।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2787(श्री भोला यादव)</u>

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत केन्द्रीय एजेन्सी सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा दिनांक 07.06.13 को पूर्ण कराया गया है। केन्द्रीय एजेन्सी सी0पी0डब्लू0डी0 के अनुरक्षण हेतु 27.78 लाख

रूपये उपलब्ध कराया जा चुका है। केन्द्रीय एजेन्सी सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस पथ पर वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण इस पथ का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा को पथ का ट्रैफिक सर्वे कराकर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है। तत्पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

श्री भोला यादव : महोदय, दो साल पहले यह सड़क बना- सड़क की स्थिति है भर-भर ठेहुना गड्ढा है और आवागमन चलने लायक नहीं है, वैकल्पिक रास्ते से लोग जा रहे हैं और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम सर्वे करवा रहे हैं- सर्वे क्या करवायेंगे, जाकर खुद देख लें कि स्थिति क्या है। इस सड़क को बनवाने के लिए कितना दिन में मरम्मत करवायेंगे? चूंकि जब पैसा.....

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, हमने माननीय सदस्य को बताया कि इसपर भारी वाहनों का अत्यधिक दबाव है। हमलोग ग्रामीण सड़क बनाते हैं। वह सड़क क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन इसकी जॉच के लिए हमने कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता को हम निदेशित किये हैं कि ट्रैफिक सर्वे कराकर.....

अध्यक्ष : वही । माननीय सदस्य इसपर शीघ्र कार्रवाई चाह रहे हैं।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : कर देंगे शीघ्र- इसको देखवा लेते हैं महोदय।

श्री भोला यादव : महोदय, समय सीमा जरा बता दीजिए।

श्री फराज फातमी : महोदय, यह सड़क मेरे विधान सभा को जोड़ती है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि ये दो साल में सड़क टूट गयी है तो संवेदक पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ?

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है कि समय से पहले माननीय मंत्री ने कहा कि हैवी ट्रैफिक था तो हमारा महोदय कहना है कि सड़क बनने के पहले इन बातों की सरकार ने चिंता क्यों नहीं की, सरकार को मालूम होगा, विभाग को मालूम होगा कि हैवी ट्रैफिक है तो जो पैसे की बर्बादी हुई अभियंताओं की गलती से और सड़क समय से पहले टूट गयी तो क्या वैसे अभियंताओं पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, वह सड़क महत्वपूर्ण है- दो-तीन सदस्य कह रहे हैं तो इसकी आगे की कार्रवाई जल्दी करवा लीजिए।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : जी।

श्री भोला यादव : समय सीमा महोदय।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : क्या राज्य सरकार अभियंताओं को बचाना चाहती है।

श्री भोला यादव : महोदय, इतना महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : पी0एम0जी0एस0वाइ0 में प्रिमिक्स सरफेस के स्थान पर सरफेस ड्रेसिंग हो गया है। इसके लिए उपर से जो पी0एम0जी0एस0वाइ0 रोड हमलोग बना रहे हैं। हम बनवा देंगे इसको महोदय।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अभी आपको प्रभुनाथ प्रसाद का जवाब देना है, प्रश्न वे पूछ चुके हैं।

तारांकित प्रश्न सं0-2788(श्री प्रभुनाथ प्रसाद)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : 1- अस्वीकारात्मक है।

2- भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखंड अन्तर्गत दुबेया टोला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पलीया गांव से दुबेया टोला पथ से जुड़ा हुआ है एवं महावीरगंज टोला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत डेकुआ से बरार जुड़ा हुआ है। इस तरह प्रश्नगत पथ बनने दोनों दोहरी संपर्कता का मामला उत्पन्न हो जायेगा। अतः पथ निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। महोदय, ये दो टोला का जिक्र किये हैं दोनों टोला को संपर्कता दे दिया गया है।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दोनों अलग-अलग टोला है और दोनों टोला में अभी तक कच्ची रोड है, अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : राजू तिवारी जी, हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप बराबर आसन की तरफ देखिए, आसन की सुनिए- इधर उधर क्या बोला जा रहा है उसका संज्ञान मत लीजिए।

श्री राजू तिवारी : जी।

तारांकित प्रश्न सं0-2789(श्री रत्नेश सादा)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है।

2- अस्वीकारात्मक है। अनुरक्षण कार्य किया गया है जिसके विरूद्ध 9 लाख 3750 रूपये व्यय हुआ है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ श्रेणी-1 में सम्मिलित है। प्राथमिकता क्रमानुसार एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर इसका मरम्मति कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो अभियंता इनको रिपोर्ट दिया है कि अनुरक्षण कार्य हुआ है 9 लाख 3750 रू0 से-2010 में वह सड़क बनी है उस समय से हम विधायक हैं एक दिन भी वहां अनुरक्षण कार्य नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं संवेदक और अभियंता पर जो गलत रिपोर्ट दिया है ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अगर गलत रिपोर्ट किया है तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन यह पथ श्रेणी-1 का है। इसको हम बनवा देंगे।

श्री रत्नेश सादा : नहीं महोदय, समय सीमा तय करें और अभियंता पर कौन सी कार्रवाई और कब तक करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : रत्नेश जी, मंत्री जी ने कहा है कि अगर गलत जवाब दिया है, गलत सूचना दी है तो पहले जॉच करानी पड़ेगी और गलत साबित होगा, तब कार्रवाई होगी ।

श्री रत्नेश सादा : मैं आपके माध्यम से.....

अध्यक्ष : आप शीघ्र कार्रवाई चाहते हैं।

श्री रत्नेश सादा : जी, मैं आपके माध्यम से.....

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप शीघ्र जॉच कराकर कार्रवाई कीजिए।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : जी।

तारांकित प्रश्न सं0-2790(श्री महबूब आलम)

श्री विजय प्रकाश,मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली, 2005 के नियम 272 एवं 273 के अनुसार पात्रता रखनेवाले निर्बंधित निर्माण श्रमिकों को पेंशन देने का प्रावधान है। उक्त नियम के शर्त्तों एवं राशि में अधिसूचना सह पठित ज्ञापांक- बी0सी0डब्लू0सी0-62/2014, श्र0सं0-34 पटना दिनांक 16.01.2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। 29 निबंधित निर्माण श्रमिकों का वर्ष 2014 में पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ था, लेकिन पेंशन की राशि रू0 150/- प्रतिमाह रहने के कारण इसमें वृद्धि हेतु बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली, 2005 की संशोधन प्रक्रिया में था। पेंशन योजना में संशोधन कर दिया गया है जिसके अनुसार पूर्व में सूचित अटल पेंशन योजना से आच्छादित 18 वर्ष से 40 वर्ष उम्र के निबंधित निर्माण कामगारों को पेंशन देने हेतु 1200 रूपया मात्र का प्रिमियम राशि का वहन बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा किया जायेगा.....क्रमशः....।

टर्न-7/अशोक/29.03.2017

श्री विजय प्रकाश, मंत्री : क्रमशः... तथा वैसे निर्माण कामगार जिन्होंने 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् बोर्ड में निबंधित हुये हों, को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पेंशन के रूप में उन्हें रूपये 150/- प्रतिमाह के स्थान पर रू0 1000/-(रूपये एक हजार) मात्र प्रतिमाह प्राप्त होगी, बशर्त्ते की वे सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आच्छादित न हो ।

अतः उक्त संशोधन के आलोक में बढ़े हुए पेंशन की दर से ही निबंधित निर्माण श्रमिक जो कि पेंशन की पात्रता रखते हैं को पेंशन देय होगा ताकि निर्माण श्रमिकों को कोइ आर्थिक क्षति न हो साथ ही सभी लाभुकों के प्रति समान

दृष्टिकोण अपनाया जा सके एवं एकरूपता बनी रहे । एतद् इस आलोक में प्रासंगिक आवेदकों के आवेदन को शीघ्र निष्पादित किया जायेगा ।

3- प्रश्नोत्तर के कंडिका-2 में उत्तर स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, माननीय मंत्री जी बिल्कुल ललित निबंध पढ़ रहे थे । मैं कहना चाहता हूँ कि वे 32 मजदूरों का पेंशन के लिए जो आवेदन पत्र हैं उन्हें कब तक मिलोगा ?

श्री विजय प्रकाश, मंत्री : जल्द ही मिल जायेगा ।

श्री महबूब आलम : कब तक ? जल्द का क्या मतलब , इसकी कोई समय सीमा है ? एक महीना के अन्दर ?

श्री विजय प्रकाश, मंत्री : एक महीना के अन्दर मिल जायेगा ।

श्री महबूब आलम : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : जल्दी का अर्थ होता है देरी नहीं ।

श्री महबूब आलम : पांच वर्ष का जल्दी का मतलब होता है दो साल और दो साल के लिए जल्दी का महोदय होता है 6 महीना, लेकिन यहां जल्दी का क्या ?

अध्यक्ष : मंत्री जी, शीघ्रता से करवा दीजियेगा ।

श्री विजय प्रकाश, मंत्री : जी, जी, करवा देंगे ।

अध्यक्ष : अगर सरकार की नीति है और जो कह रहे हैं माननीय सदस्य उनके लिए अनुमान्य है तो शीघ्रता से करवा दीजिये ।

श्री विजय प्रकाश, मंत्री : शीघ्र ही करवा देंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सभा पटल पर रख दिखे जायं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 29 मार्च,2017 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई हैं :

श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री विद्या सागर केशरी, श्री जिवेश कुमार, श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, श्री लालबाबू प्रसाद गुप्ता, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री ललन पासवान एवं श्री तार किशोर प्रसाद ।

आज सदन में राजकीय विधेयक का कार्यक्रम निर्धारित है अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्य काल । आज काफी शून्य काल है ।

शून्य काल

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों के सभी कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु बजट में 254 प्रतिशत बढ़ोत्तरी किया है महोदय, वहीं अति पिछड़ा, पिछड़ा तथा शिड्यूल कास्ट एवं शिड्यूल ट्राईब के बजट में भारी कटौती कर दी गई है, यह तुष्टिकरण का प्रतीक है, राज्य सरकार का ध्यान केवल कब्रिस्तानों के घेराबन्दी तक सीमित है, वहीं राज्य में बहुसंख्यक समाज के निमित्त श्माशन घाट, बैकुण्ठ धाम के प्रति उदासीन है एवं मंदिरों के विकास के लिए सरकार उदासीन है । राज्य के बहुसंख्यक इससे आहत हैं, हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं....

अध्यक्ष : ठीक ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, जो पहले सवाल उठे हैं उसी सवाल को बार बार नेता प्रतिपक्ष लाते रहते हैं महोदय ।

अध्यक्ष : शून्य काल ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सदन की कुछ अपनी परम्परा है एवं नियमावली है कि जो प्रश्न उठाये जा चुके हैं अथवा आ चुके हैं...

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सरोज यादव ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के आरा शहर स्थित चर्च की जमीन अवैध रूप से फर्जी तरीके से जिला प्रशासन के सहयोग से भूमाफियाओं के नाम से रजिस्ट्री करा दी गई है, जिसमें भोजपुर जिलाधिकारी की मिली भगत है । अतः सरकार चर्च की जमीन का रजिस्ट्री रद्द करावे तथा दोषियों पर कार्रवाई करे ।

श्रीमती समता देवी :अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत मानपुर अंचल के भुसुण्डा थाना नं0-317 खाता नं0-81, प्लौट-28 में कुछ दबंग लोगों ने सरकारी जमीन का नाजायज तरीके से अंचल से रसीद कटवा लिया है । साथ ही उक्त जमीन पर मकान बना लिया है ।

जनहित में राजस्व विभाग के राज्यस्तरीय पदाधिकारी से जॉच की मॉग करती हूँ ।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण वेल में चले आये)

(व्यवधान)

श्री विनोद प्रसाद यादव :अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी के गोपालपुर में बालेश्वर यादव, 43 वर्ष, पिता-ब्रहमदेव यादव, ग्राम-गोपालपुर, थाना-शेरघाटी की मृत्यु सड़क

दुर्घटना में दिनांक 21.01.17 को हो गई । उनके साथ रहे अजय कुमार, ग्राम–उसेवा, थाना–गुरूआ घायल हो गया था ।

मृतक के आश्रित को आपदा राहत कोष से 4 लाख रूपये मुआवजा की मॉग करता हूॅ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी ।(शून्य काल नहीं पढ़ा गया)
माननीय सदस्य श्री अमित कुमार ।

श्री अमित कुमार :अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत अनुमंडल कार्यालय, सीतामढ़ी सदर,आपदा प्रशाखा के पत्रांक 3086/10.01.2017, पत्रांक 32789/03.12.2016, सामान्य शाखा का पत्रांक–43/10.01.2017 तथा सीतामढ़ी जिला आपदा कार्यलय के पत्रांक–116/ 22.03.2017 और पत्रांक–117/22.03.2017 में बच्चों के डूबने से मृत्यु हो गयी । आज तक पीड़ित परिवारों को सहायता और मुआवजा नहीं मिला । अतएव सरकार पीड़ित परवारों को यथाशीघ्र मुआवजा दिलावें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री लालबाबू प्रसाद गुप्ता ।(शून्य काल नहीं पढ़ा गया)
माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार सिंह । (शून्य काल नहीं पढ़ा गया)
माननीय सदस्य, श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, जमुई जिला के सभी प्रखण्डों में मध्याह्न भोजन के द्वारा चल रहे योजना के तहत स्कूल तक खाद्य सामग्री(चावल) पहुॅचाने हेतु संवेदक द्वारा घोर अनियमितता बरती गई । संवेदकों का कार्यकाल समाप्त हाने वाला है । इसे पुन: स्थापन न करके नया निविदा निकालने का मांग करता हूॅ ।

डॉ राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत संग्रामपुर थाना काण्ड सं0 22/17 के उत्तरी मधुबनी पंचायत मं प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के क्रम में ग्रामीणों से मारपीट हुआ । जिसमें प्रशासन द्वारा विडियोग्राफी किया गया था उसके बावजूद कुछ निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया है इसकी जांच कराकर निर्दोष व्यक्ति को कांड से मुक्त कराने का मांग करता हूॅ ।

(व्यवधान जारी)

श्री लालबाबू राम : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखण्ड में कदाने नदी कटेश्र घाट पर पुल निर्माण नहीं रहने के कारण आम लोगों को काफी कठिनाई होती है । पुल के निर्माण से दो प्रखण्डों के लोगों को काफी फायदा होगा तथा मुख्यालय की दूरी कम हो जाएगी ।

अत: उक्त घाट पर पुल निर्माण की मॉग करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह । (शून्य काल नहीं पढ़ा गया)
माननीय सदस्य डॉ0 शमीम अहमद ।

डॉ0 शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला में शिक्षकों के स्नातक एवं प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के वरीयता में पत्रांक-592 दिनांक 10.05.2013, ज्ञापांक-571 दिनांक 24.08.2012 में पारित आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षक प्रोन्नति द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है ।

अतः सरकार जॉंच कर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करे ।

श्री अचमित ऋषिदेव :अध्यक्ष महोदय, अररिया जलान्तर्गत भगामा प्रखंड में एम.एस.डी.पी. योजना से उप स्वास्थ्य केन्द्र बैजूपट्टी, धनेश्वरी का निर्माण पूर्ण कराये बिना राशि की निकासी कर ली गई । इसकी उच्च स्तरीय जॉंच कराते हुए उप स्वास्थ्य केन्द्र बैजूपट्टी, धनेश्वरी का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग मै सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री ललन पासवान । (शून्य काल नहीं पढ़ा गया)

श्री बशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड दिनारा में ग्राम एवं पोस्ट धरकन्धा के झुनी देवी पति श्री कुन्दन कानु का पानी में डूबने से दिनांक 03.10.2016 को मृत्यु हो गई । अभी तक इनके परिवार को आपदा प्रबंधन विभाग से अनुदान राशि नहीं मिली है । मैं मांग करता हूँ कि झुनी देवी के परिवार को अनुदान की राशि दी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती भागीरथी देवी । (शून्य काल नहीं पढ़ा गया)

श्री समीर कुमार महासेठ : मधुबनी जिला के मधुबनी शहर में भारी वाहनों(ट्रकों) का प्रवेश चौबीसों घंटे होता है, जिसके कारण प्रत्येक दिन भयंकर जाम की स्थिति रहती है । अतः सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मधुबनी शहर को NO ENTRY ZONE घोषित किया जाय ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद नगर परिषद् के इसकी मुहल्ला स्थित उर्दू प्राथमिक बालिका विद्यालय का भवन अत्यंत जीर्ण-शीर्ण हो गया हैं किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है । अतः प्रश्नाधीन विद्यालय के निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर के तरारी प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय चंदा में 2012-13 में तीन कमरों के निर्माण के लिए आठ लाख रूपया आया, लेकिन तत्कालीन प्रधानाध्यापक तूफानी सिंह ने बिना कमरों के निर्माण कराये ही पैसे की निकासी करवा ली, मामले की जांच व कमरों के निर्माण की मांग करता हूँ ।

टर्न-8/ज्योति

29-03-2017 (व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय, चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर चंपारण सहित पूरे बिहार के गरीब आवासीय भूमि हेतु सत्याग्रह कर रहे हैं, सभी गरीबों को 10-10 डिसमिल

वास भूमि देने, विधान सभा के वर्तमान सत्र में शहरों में सरकारी जमीन पर पुश्तैनी रुप से बसे गरीबों को पर्चा देने व नया शहरी भू-हदबंदी कानून बनाया जाए ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, भोजपुर के अगिआंव के पोसवाँ पंचायत की पूर्व मुखिया किरण देवी द्वारा उनके कार्य काल में संबंधित विकास योजनाओं को बिना पूरा किए लगभग 15 लाख रु0 की निकासी की लिखित शिकायत जनता ने 20-10-17 को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, आरा में किया । इस मामले की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई एवं योजनाओं को पूर्ण करने की मांग करता हूँ ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा प्रखण्ड के लोहण्डा पथ से जगरनाथ टोला होते हुए सरहनिया पर जाने वाली पथ का कालीकरण नहीं किया गया है । उक्त पथ को कालीकरण तथा मजबूतीकरण की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री सुबोध राय : महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुंड प्रखंड मुख्यालय पेयजलापूर्ति का मुख्य पाइप क्षतिग्रस्त हो जाने से आसपास इलाका में पेयजल के लिए हाहाकार मच गया है । अतएव मैं, उपरोक्त क्षतिग्रस्त पाइप की शीघ्र मरम्मती एवं पेयजलापूर्ति चालू कराने की मांग करता हूँ ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, लख्खीसराय जिला में सभी विद्यालयों में 26 दिसम्बर 2016 से डी0पी0ओ0 मध्याह्न भोजन द्वारा प्रभारी शिक्षकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण मध्याह्न भोजन बंद है अतः सरकार से मांग करता हूँ कि मध्याह्न भोजन शीघ्र चालू

कराया जाय और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाय ।

अध्यक्ष : श्री विनोद कुमार सिंह ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी)

श्री नीरज कुमार : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बरारी कुरसैला समेली अंचल में कोसी बरण्डी गंगा नदी के कटाव से विस्थापित परिवार सड़क किनारे अब बांधो पर शरण लिए हैं अतएव सरकार से अविलम्ब विस्थापित हुए परिवारों को बसाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार खेमका ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी)

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंडान्तर्गत ग्राम- छतुपट्टी से बरहथा तुलापट्टी पक्की सड़क तक के सड़क एवं पुल का निर्माण नहीं कराये जाने से आम लोगों को प्रखंड मुख्यालय आने- जाने तथा कृषि कार्य के संपादन में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है । उक्त पथ एवं पुल के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, सरकार को दलित एवं गरीबों के टोला में संपर्क पथ की जमीन उपलब्ध कराना है । हरसिद्धि विधान सभा अंतर्गत प्रखंड हरसिद्धि के हरपुर पंचायत में

राजकुमार राम टोला, तुरकौलिया प्रखंड में माधवपुर गणेश राम का टोला तथा दोनों प्रखंड में कई टोला संपर्क पथ से वंचित है । सरकार संपर्क पथ की जमीन अविलंब उपलब्ध कराकर संपर्क पथ बनावें ।

अध्यक्ष : श्रीमती गायत्री देवी (माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी) ।
श्री नारायण प्रसाद (माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी)
श्री तारकिशोर प्रसाद ।
(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी)
(व्यवधान जारी)

श्री फराज फातमी : महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण के 30 बेड में मात्र 04 बेड, जीवन रक्षक दवाएं एवं स्थायी प्रभारी चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति नहीं है ।

अत: उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में 30 बेड की व्यवस्था, जीवन रक्षक दवाएं एवं स्थायी चिकित्सक की व्यवस्था की सूचना देता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री जीवेश कुमार (माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी) ।
श्री संजय सरावगी (माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी) ।
(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : शून्य काल की सूचनाएं समाप्त हुई ।

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य</u>

श्री विद्यासागर केशरी (माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी)।
श्री संजय सरावगी (माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी) ।
श्री मिथिलेश तिवारी (माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी) ।
(व्यवधान)
श्री ललित कुमार यादव ।

सर्वश्री ललित कुमार यादव, सदानंद सिंह एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त <u>ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।</u>

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, पथ निर्माण विभाग में किसी कार्यपालक अभियन्ता के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं कर्त्तव्यहीनता के आरोप में प्रपत्र 'क' गठित होने पर उनका पदस्थापन महत्वपूर्ण कार्यस्थल पर किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है । इसके बावजूद राज्य में आरोपित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण कार्य दिया जा रहा है यथा- नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक- 6476, दिनॉक-20-09-2016 द्वारा जिस पदाधिकारी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं कर्त्तव्यहीनता के आरोप में प्रपत्र 'क'

गठित हुआ है, उनका पदस्थापन पथ निर्माण विभाग, दरभंगा में महत्वपूर्ण पद पर कर दिया गया है ।

अतएव आरोपित पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने और जॉच केक फलाफल तक उनका पदस्थापन महत्वपूर्ण पदों पर नहीं किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 6476, दिनॉक 20-09-2016 द्वारा श्री विनोद कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण, गया वर्तमान में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा के संबंध में प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ । इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना सं0-4944(एस) दिनॉक 28-06-2016 द्वारा श्री विनोद कुमार, कार्यपालक अभियंता की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, प्रथ प्रमंडल, दरभंगा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया गया, जबकि इनके पदस्थापन के बाद इनके विरुद्ध प्रपत्र 'क' नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 6476, दिनॉक 20-09-2016 से प्राप्त हुआ । जिसके आलोक में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 8695 दिनॉक 24-10-2016 के द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई । तदालोक में श्री कुमार के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसकी प्रपत्र 'क' के तहत गठित आरोपों के संदर्भ में विभाग के स्तर पर समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोप के सन्निहित बिन्दु, जो विशुद्ध रुप से नगर विकास एवं आवास विभाग के नीतिगत निर्णय से संबंधित है, के संदर्भ में श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य की अपेक्षा की गई, जो अद्यतन अप्राप्त है । इनके विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के फलाफल के आलोक में यथोचित कार्रवाई की जायगी ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 4695 दिनॉक 24-10-2016 के द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया है तदालोक श्री विनोद कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है जिसके प्रपत्र 'क' तहत गठित आरोपों के संबंध में विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी । महोदय, किसी पदाधिकारी पर आरोप पत्र 'क' गठित होता है और उनके विरुद्ध जब आरोप पत्र गठित हुआ, प्रमाणित हो गया ।....

अध्यक्ष : माननीय ललित जी, सरकार ने बताया है कि प्रपत्र 'क' आने से पहले ही उनका पदस्थापन हुआ ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं वह प्रश्न नहीं कह रहा हूँ पदस्थापन क्यों हुआ, कैसे हुआ महोदय मैं कह रहा हूँ कि प्रपत्र 'क' गठित हो गया, मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी का नीतिगत निर्णय है कि जीरो टौलरेंस के तहत हम किसी

दागी पदाधिकारी को पदस्थापित नहीं करेंगे । तो महोदय, जब प्रपत्र 'क' गठित है तो उसको एक मौका स्पष्टीकरण में दिया गया और उसके बाद नगर विकास में उसको ..

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, दागी पदाधिकारी का जब स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया तो नगर विकास में फिर पुनः मंतव्य भेजने के लिए क्या औचित्य है, ऐसे दागी पदाधिकारी को निलंबित कबतक करेंगे ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब यह ममला जो था, यह नगर विकास विभाग में जब यह हुआ और जवाब में स्पष्ट है कि उनसे हमलोग मंतव्य मांगे हैं, जैसे ही जवाब आयेगा उचित कार्रवाई करेंगे । कोई भी अगर दागी या भ्रष्टाचारी अगर होगा तो उसपर उचित हमलोग कार्रवाई करने का काम करेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि जब एक मौका कार्यपालक अभियंता को दिया गया, स्पष्टीकरण आ गया और नगर विकास तो पहले ही मंतव्य के साथ, साक्ष्य के साथ भेज दिया तो फिर नगर विकास में भेजने का औचित्य नहीं है । हमारी इतनी ही मांग है कि तत्काल उसको निलंबित करके आप जॉच करिये । नगर विकास का तो साक्ष्य के साथ आपको मंतव्य प्राप्त है ही ।

टर्न–9/29.3.2017/बिपिन

(वेल में पूर्व से व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : ललित जी, सरकार कह रही है कि चूंकि आरोप नगर विकास विभाग का है और आप भी वही कह रहे हैं । आप ही अपनी बात में कह रहे हैं, आप ही की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं । चूंकि आरोप पर गड़बड़ियां नगर विकास विभाग की है, माननीय मंत्री ने कहा है कि वो अभी प्रपत्र 'क' गठित किए हैं, उसकी सूचना दिए हैं और अब उसपर आगे नगर विकास विभाग उनकी सुनवाई करके स्पष्ट रूप से उनके विरूद्ध जिस कार्रवाई की अनुशंसा करेगी, करेगी विभाग ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, नगर विकास तो, मैं कह रहा हूं कि साक्ष्य तालिका के साथ आरोप साबित करके नगर विकास विभाग सचिव ने प्रधान सचिव, पथ को भेज दिया कार्रवाई के लिए महोदय ।

अध्यक्षः नहीं । ऐसा सरकार नहीं कह रही है ।

श्री ललित कुमार यादवः ऐसा है । उसका प्रपत्र 'ग' ...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उपमुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा है तो इसको देखवा लेंगे । अगर प्राप्त हुई होगी तो सही कारवाई की जाएगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सबों को शून्यकाल के संबंध में केवल एक सूचना देनी है कि शून्यकाल सूचना में हम स्वाभाविक रूप से कोशिश करते हैं कि अधिक-से-अधिक माननीय सदस्यों की सूचनाएं सभा की कार्यवाही में सम्मिलित हों क्योंकि स्वाभाविक है कि सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र या अपनी जानकारी के मुताबिक कुछ बात उठाना चाहते हैं लेकिन एक-दो चीज बराबर देखी जाती है कि जो कुछ चीजें प्रावधानित हैं, जिनका ख्याल रखना है उसका भी उसमें ख्याल नहीं रखा जाता है । जैसे, शब्दों की सीमा, 50 शब्द होना चाहिए । कोई देखते हैं 60, 70, 80 चला आता है जिसके कारण उसको रोकना पड़ता है । विषय में भी है कि कोशिश किया जाना चाहिए कि वह बिल्कुल हाल की बात हो, पांच साल, दस साल से कोई मामला लंबित चला आ रहा है तो वह शून्यकाल का विषय नहीं बनता है । इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है, आसन की तरफ से हम चाहते हैं कि आप सभी माननीय सदस्य परिश्रम करके किसी विषय को उठाना चाहते हैं तो आपको मौका मिले लेकिन इन बातों का, जो स्वाभाविक रूप से शून्यकाल की सूचनाओं के लिए प्रावधानित हैं, उनका ख्याल रखा जाए जिससे कि आसन को सहूलियत होगी ।

इसी सूचना के साथ सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न : 10/कृष्ण/29.03.2017

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन)विधेयक,2017

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री,जल संसाधन विभाग ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन)विधेयक,2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन)विधेयक,2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

अब विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन)विधेयक,2017 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (i) के तहत माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री मिथिलेश तिवारी : जी हां । मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन)विधेयक,2017 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाया जा रहा है, इस से किसानों को बहुत जबर्दस्त समस्या होनेवाली है । महोदय, पहले किसान उपभोक्ता समिति के माध्यम से आवश्यकतानुार कार्य कराया जाता था । अब भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा इस विधेयक के पास होने के बाद जबकि पूर्व में किसान आवश्यकतानुसार स्वेच्छा से भूमि उपलब्ध कराता था तथा अंशदान भी करता था । महोदय, अभिकरण खत्म होने के कारण अब किसानों और विभाग के बीच दूरी बढ़ जायेगी और महोदय, राज्य में भूमि अधिग्रहण इतना कठिन है कि अब किसानों के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण का कार्य बंद होने की संभावना बढ़ गयी है । इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस के सिद्धांत पर विचार हो ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श के प्रस्ताव के बाद अब जनमत जानने का प्रस्ताव है । माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री मिथिलेश तिवारी : जी हां,मूव करूंगा ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन)विधेयक,2017 दिनांक 30 अप्रील, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । ''

महोदय, जो बात हम ने सिद्धांत के विचार पर कहा है, कुल मिलाकर विषय वही है, किसानों से जुड़ा हुआ विषय है । किसान स्वेच्छा से सिंचाई के लिये यह काम करता रहा है । महोदय, वर्षों से यह परम्परा चली आ रही है और एक साथ इस को एकीकृत कर देने से किसानों को बहुत समस्या होगी और यह काम पूरी तरह बंद हो जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन)विधेयक,2017 दिनांक 30 अप्रील, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । ''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन)विधेयक,2017 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं :

खण्ड 2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

खण्ड 2 एवं 3 इस विधेयक अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड 4 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अनिल सिंह : जी हां । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' विधेयक के खण्ड-4 के चौथी एवं पांचवीं पंक्ति के शब्द समूह ''आवश्यकता आधारित पदों का सृजन कर, पूर्व के समान सेवाशर्त्त के अधीन किया जायेगा और'' के स्थान पर शब्द समूह ''पदों पर स्वतः समायोजित हो जायेंगे तथा पदों की रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में पदाधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप उतने पद स्वतः सृजित समझे जायेंगे । '' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव इसलिये लाया हूं कि जब सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत है कि समान वेतनवाले समान कर्मी समान पद पर समायोजित होंगे तो अलग से पद सृजन की प्रक्रिया को भविष्य के लिये छोड़ने की आवश्यकता क्या है ? पिछले वर्षों अध्यक्ष महोदय, बिहार कृषि विपणन पर्षद एवं वन विकास भंग हुआ था, इन के कर्मियों का समायोजन किया जाना था परन्तु वर्षों तक इन के कर्मी सड़क पर चक्कर लगाते रहे, उन की एड़ियां घिस गईं, जिस का प्रभाव उन के बच्चों पर पड़ा, उन की बच्चियों की शादी-विवाह पर पड़ा । महोदय, मुझे भय है कि कहीं इसी तरह की प्रक्रिया न हो, जिस के कारण जो जॉब में रहेंगे, उन के समायोजन की प्रक्रिया में जब देर होगी, जिस का प्रतिफल उन के बच्चों पर पड़नेवाला है । महोदय, मुझे इस बात का भय है कि इस भयानक स्थिति से कहीं उन को भी गुजरना न पड़े । इसलिये मेरा आग्रह होगा कि ऐसी स्थिति में कर्मियों का समायोजन, मैं चाहूंगा कि उन्हें दर-दर ठोकर खाना न पड़े, हो जाय । इसलिये मैंने यह संशोधन लाया है । इसलिये मैं सरकार से

आप के माध्यम से मांग करता हूं कि कर्मियों के हित में स्वतः समायोजन तथा स्वतः पद सृजन संबंधी इस संशोधन को स्वीकार करे ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है जितने भी इस एजेंसी के, जो काडा हैं, के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन की पूरी सेवा और सेवाशर्त्त हैं, उस को अक्षुण रखा गया है । जितने भी पद उस के लिये चाहिए, वे सभी पद वाल्मी में जहां हम विलय कर रहे हैं, वे सारे पद स्वीकृत किये जा चुके हैं । माननीय सदस्य की जो शंका है, वह निर्मूल है । इसलिए हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि वे अपना संशोधन वापस ले लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेंगे ?

श्री अनिल सिंह : महोदय, उन कर्मियों के संबंध में माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है, इन के आश्वासन के आलोक में कि उन्हें ठोकर खाना न पड़ेगा, जिस का मुझे संदेह था, माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया है, उन कर्मियों के लिये ही मैंने यह संशोधन लाया था। इसलिए मैं माननीय मंत्री के आश्वासन के आलोक में अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : इस संशोधन के निस्तारण के बाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-5 एवं 6 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक की अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न–11/राजेश/29.3.17

अध्यक्ष: अब स्वीकृति का प्रस्ताव । माननीय प्रभारी मंत्री ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: प्रश्न यह है कि:

''बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) विधेयक, 2017'' स्वीकृत हो ।

अध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने ''बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) विधेयक, 2017'' लाया है, तो अभी तक जो आशंका हमलोगों को थी, उसको इन्होंने खारिज किया है कि ऐसा नहीं होगा, जो कर्मी होंगे, उनका समायोजन निश्चित तौर पर होगा, ऐसी व्यवस्था की गयी है लेकिन माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी ने जो सवाल को उठाया था कि जो हमारा कृषि है, किसान जो हमारे हैं, उनको कोई असुविधा न हो और किसानों के हित के दृष्टिकोण से काम हो और सारी एजेन्सी पहले काम कर रही थीं, उन सारे को खत्म करके एक एजेन्सी बनाने जा रहे हैं, तो हमें चिंता लग रही है कि इससे किसानों को असुविधा बढ़ेगी, इसपर सरकार का मंतव्य हम जानना चाहते थे कि आखिर इससे फायदा किसानों को क्या होगा, पहले व्यवस्था जो बनायी गयी थी और आज जो आप करने जा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर होगा और किसानों को क्या इसका लाभ होगा, यह हम जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष: ठीक है । माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, संक्षेप में बोलिये ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, शंका, आशंका के बीच हमेशा हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार स्पष्ट करें ताकि विपक्ष को शंका न हो पाये । पिछले दिनों जो दिखाई पड़ा है, तो उससे निश्चित रुप से थोड़ा सशंकित है ।

अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 1978, बिहार अधिनियम (3), 1989 में बनाया गया और इसके अधीन पूरे प्रदेश को पॉच भागों में बॉटकर चार कमांड एरिया बनाया गया था, एक कमांड एरिया था सोन, जिसका मुख्यालय पटना में था, दूसरा कमांड एरिया था गंडक का, जिसका

मुख्यालय मुजफ्फरपुर में था, तीसरा था कोशी का, जिसका मुख्यालय सहरसा में था और एक क्यूल बदुआ कमांड एरिया बनाया गया, जिसका मुख्यालय भागलपुर में बनाया गया और मुख्य तौर पर जिस समय यह बनाया गया है, उसमें जो इसका प्रशासनिक नियंत्रण था, वह जल संसाधन विभाग के अधीन था, मुख्य तौर पर कमांड एरिया को जो दायित्व दिया गया, उसमें जो नहर के आउटलेट्स हैं, उस आउटलेट्स से पानी निकालने के लिए नाला बनाना या खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए और कोई व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था या 150 क्यूसेक तक जो डिस्चार्ज वाले स्ट्रक्चर थे, उस स्ट्रक्चर के पुर्नस्थापन का काम दिया गया, इसमें जल जमाव में सुधार के लिए काम दिया गया और इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण आदि का कार्य इस कमांड एरिया को सौंपा गया था । महोदय, 2015 में इस सरकार के गठन के बाद 15 दिसम्बर, 2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर एक समीक्षा बैठक हुई थी, उस बैठक में यह फैसला हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निदेश भी हुआ था और यह निर्णय हुआ कि पूरे जल संसाधन विभाग को दो विभाग में विभक्त कर दिया जाय, पहले एक समस्या यह थी कि जो इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होते थे, वही फ्लड का भी काम देखते थे और वही एरिगेशन का भी काम देखते थे, फ्लड का काम पूरे 365 दिनों तक होता था, क्योंकि एक बार फ्लड पिरिएड जैसे ही खत्म होता था, वैसे ही फिर नये साल के फ्लड के प्रोटेक्शन के लिए जो काम हैं, वह प्रारंभ हो जाता था, तो इसके कारण जो सिंचाई का क्षेत्र था, वह पूरा प्रभावित हो रहा था और सिंचाई के क्षेत्र में ध्यान पूरी तरह से केन्द्रीत नहीं किया जा रहा था, तो इस स्थिति में उस बैठक में निर्णय हुआ कि पूरे जल संसाधन विभाग को पूरे दो विभाग में विभक्त कर दिया जाय, एक भाग बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण को देखेगा और दूसरा भाग जो हैं वह पूर्णतः सिंचाई के सृजन पर केन्द्रीत करेगा, जो पुर्नस्थापित करना है या जो नया कन्स्ट्रक्शन होना है, जो नया एरिया बढ़ाना है कमांड एरिया का, इसको वह देखेगा और उसी के बाद यह महसूस किया गया और कई जगह यह समस्या होती थी कि कमांड एरिया में और जो सिंचाई का डिवीजन था, उसके बीच में कोऑरडिनेशन के अभाव के कारण काफी काम सिंचाई का प्रभावित हो रहा था, तो इसलिए जब दो भागों में विभक्त हो गया पूरा जल संसाधन विभाग और दिनांक 1.6.2016 के बाद जब यह प्रभावी हो गया और नये अभियंता प्रमंडल में या मुख्य अभियंता या अधीक्षण अभियंता उनके पदस्थापित हो गये, सब लोगों ने जब कार्य भार संभाल लिया, तब फिर जो विधेयक था, जो कमांड एरिया था, उसका जो काडा था, इसकी आवश्यकता नहीं रह गयी थी, चूंकि इससे फिर डुपलिकेसी काम में होता और डुपलिकेसी होने पर काम मुख्यतः प्रभावित होता और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उसमें एक समस्या यह थी कि इसके कर्मचारी और अधिकारी जो कमांड एरिया में काम कर रहे थे, उनका समायोजन कैसे हो, तो

उसके लिए जो निर्णय हुआ, उस निर्णय के साथ ही जो पद सृजन की कार्रवाई थी, वह पद सृजन की कार्रवाई भी साथ-साथ हो गयी और उतने पद, जितने इसमें कर्मचारी, अधिकारी सब लोग थे, उन सबों के लिए जो पद सृजन का काम था, वह एक साथ कंपलीट कर दिया गया और उसके साथ हो गया । अब यह जो सिंचाई प्रमंडल का सिंचाई सृजन का जो प्रमंडल है,वही इस आउटलेट्स से खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था है,नाला से जल निकालने की व्यवस्था है या जल जमाव से निबटने की जो समस्या है वह अब सिंचाई प्रमंडल का सिंचाई सृजन का जो प्रमंडल है,उसी के अधीन यह काम दिया जायेगा बाकी उससे किसानों के हित को कहीं से भी प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा बल्कि इसके बाद और बेहतर ढंग से इसका मोनेटरिंग किया जायेगा और इस काम के लिए चूंकि वह प्रभावित नहीं हो तो इस काम के लिए जल संसाधन विभाग के मुख्यालय में इसकी स्वीकृति भी है, अब मान लीजिये कि जो आउटलेट्स से पानी निकाल कर ले जाना है खेतों तक या नाला बनाना है, तो उसकी स्वीकृति या उसकी मोनेटरिंग, यह सारी व्यवस्था इसमें की गयी है, विशेष रुप से मुख्यालय में यानि जल संसाधन विभाग में एक निदेशालय काम करता रहेगा, जो अब इस कमांड एरिया का काम जो सिंचाई सृजन प्रमंडल को सौंप दिया है,उस काम को वह मोनेटर भी वह करता रहेगा, तो अब इससे उसके किसी भी काम में किसानों का हित कहीं भी प्रभावित नहीं होगा, कर्मचारियों का हित कहीं प्रभावित नहीं होगा, तो इसमें जो मुख्य तौर पर बातें थीं, यह हमने बता दिया, साथ ही साथ यह किसानों के बल्कि आप यह कहें कि यह किसानों के हित में है ताकि जो काम में विलंब होता था, काम में कई तरह की बाधाएँ जो उत्पन्न होती थीं, अब वह बाधा उत्पन्न नहीं होगी, उसको द्रुत गति से काम को चलाया जायेगा, ताकि सिंचाई की सुविधा जितना ज्यादा से ज्यादा हम खेतों तक पहुंचा सके यही होगा, इसलिए मेरा आग्रह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष: अब तो जवाब हो गया, आपको जिस समय पुकार रहे थे, तो आप बोले नहीं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

''बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) विधेयक, 2017'' स्वीकृत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

''बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) विधेयक, 2017'' स्वीकृत हुआ ।

टर्न-12/सत्येन्द्र/29-3-17

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन,भत्ता और पेंशन)(संशोधन)विधेयक, 2017

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन,भत्ता और पेंशन)(संशोधन)विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन,भत्ता और पेंशन)(संशोधन)विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन,भत्ता और पेंशन)(संशोधन)विधेयक, 2017'' पर विचार हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन,भत्ता और पेंशन)(संशोधन)विधेयक, 2017'' पर विचार हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ। इस विधेयक के खंड पर विचार करने के पूर्व मैं सूचना देना चाहता हूँ कि विधेयक के भार साधक सदस्य सह प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य द्वारा सूचना दी गयी है कि विधेयक के खंड-2 की प्रथम पंक्ति में टंकण त्रुटि के कारण शब्द 'की स्थापना' के स्थान पर 'का स्थापना' अंकित हो गया है जिसे 'की स्थापना' के रूप में पढ़ा जाय । चूंकि यह एक शाब्दिक एवं टंकण अशुद्धि है अतएव 'का प्रस्तावना' को 'की प्रस्तावना' के रूप में पढ़ा हुआ माना जायेगा ।

खंड- 2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन,भत्ता और पेंशन)(संशोधन)विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, अभी जब भोजनावकाश हुआ था महोदय तो कई माननीय सदस्य मिले थे और उनका कहना था कि जो प्रस्ताव लाया गया है महोदय भूतलक्षी प्रभाव से, लोगों ने आग्रह किया था तो आखिर वजह क्या है, क्या कठिनाई है सरकार को । मान लीजिये पहले जो व्यवस्था थी...

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: इससे इतर है वह।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: और क्या कठिनाई है, यह क्लियर कर दीजिये हमलोगों को ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान मंडल के माननीय पूर्व सदस्यों को पेंशन की सुविधा से संबंधित प्रावधान बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 द्वारा किया गया है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 195 में वर्णित प्रावधान के तहत यह अधिनियम अधिनियमित किया गया है । भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद 195 में प्रावधान है कि ''राज्य की विधान-सभा और विधान परिषद के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें उस राज्य का विधान मंडल समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे- प्राप्त करने के हकदार होंगे ।'' संविधान के इस अनुच्छेद में केवल वेतन और भत्ता का जिक्र है लेकिन बिहार विधान मंडल के पूर्व सदस्यों को अधिनियम द्वारा पेंशन की भी सुविधा दिये जाने के कारण महालेखाकार, बिहार द्वारा लेखा अंकेक्षण के क्रम में इस पर आपत्ति दर्ज की गयी महोदय। महालेखाकार द्वारा दर्ज आपत्ति के

निराकरण के उद्देश्य से इस अधिनियम की प्रस्तावना में संविधान के अनुच्छेद 245 एवं अनुच्छेद 246 (3) को जोड़ा जाना आवश्यक प्रतीत हुआ । संविधान के अनुच्छेद 245 में प्रावधान है कि ''संसद भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य के विधान मंडल सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी'' तथा संविधान के अनुच्छेद 246 (3) में प्रावधान है कि ''किसी राज्य के विधान मंडल को सातवीं अनुसूची की सूची-2 में (जिसे इस संविधान में 'राज्य सूची' कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में उस राज्य तथा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।'' बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 में माननीय पूर्व सदस्यों को दी गयी पेंशन की सुविधा को बिना किसी आपत्ति के बरकरार बनाये रखने हेतु अधिनियम की प्रस्तावना में संविधान के अनुच्छेद 195 (जिसके तहत वेतन एवं भत्ता का प्रावधान है) के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 245 एवं अनुच्छेद 246 (3) को जोड़ा जाना अनिवार्य है एवं इसी दोनों अनुच्छेद को अधिनियम की प्रस्तावना में जोड़े जाने के उद्देश्य से अधिनियम में संशोधन हेतु यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मैं सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष: आप जो कहना चाह रहे हैं या नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है मेरी समझ से वह मामला नियमावली में परिवर्तन से संबंधित है । ये दूसरी बात हो रही है, ये हो रही है कि अभी तक सैलरी और एलाउंसेज जो मिलते थे 195 के तहत ये 246 में राज्य सूची में पेंशन जिसके तहत मिलता है, वह उसमें इंक्लूड अपने ऐक्ट में नहीं था ,उसमें संशोधन है और आप जो कह रहे हैं नियमावली से संबंधित है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन,भत्ता और पेंशन)(संशोधन)विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन,भत्ता और पेंशन)(संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-13/मधुप/29.03.2017

बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 122(i) के तहत माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री मिथिलेश तिवारी : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, जब यह नियम लागू किया गया था और जब यह संशोधन का प्रस्ताव आया है तो इसमें जो भूमि की जो सीमा थी उसको आधा कर दिया गया है और जो अवधि था दो साल, उसको एक्सटेंशन का प्रस्ताव लाया गया है । महोदय, मैं तो आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहूँगा कि अगल-बगल के जो राज्य हैं जहाँ

पर निजी विश्वविद्यालय का प्रावधान किया गया है, जरा उसका भी पूरा अध्ययन करके तब यह प्रस्ताव लाया जाय । क्योंकि ऐसा न हो कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण, अगर हम यह प्रस्ताव ला रहे हैं, जो पहले हम प्रस्ताव लाये थे और निजी विश्वविद्यालय खुले और उसमें आधारभूत संरचना को खड़ा करने के लिये भूमि कम पड़े, तो मुझे लगता है कि हड़बड़ी में लिया गया प्रस्ताव रहेगा ।

इसलिये महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि एक बार अगल-बगल के राज्यों का अध्ययन भी कर लिया जाय और जो पहले लोगों ने इस नियम को पारित किया था, उसके संदर्भ में भी इसको देख लिया जाय ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श के प्रस्ताव के बाद अब जनमत जानने का प्रस्ताव है ।

माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री मिथिलेश तिवारी : मूव करेंगे ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 30 अप्रील, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

महोदय, जो विषय मैंने सिद्धांत पर कहा है, वही विषय इसमें भी है । इसलिये आपके माध्यम से मैं आग्रह करूँगा कि इसको परिचारित करने के लिये इसको जनमत जानने के लिये भेजा जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 30 अप्रील, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डशः लेता हूँ । खण्ड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 लाया गया है, 2013 में जब बिहार में एन0डी0ए0 की सरकार थी तो विधेयक लाया गया था । महोदय, वास्तव में इसकी आवश्यकता यहाँ पर है लेकिन माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी ने जो प्रस्ताव लाया है सिद्धांत पर विमर्श का, अन्य राज्यों का भी अध्ययन कर लिया जाय, हड़बड़ी में विधेयक ले आते हैं पास कराने के लिये, थोड़ा-सा अध्ययन कर लेना चाहिये, थोड़ा-सा फीड-बैक ले लेना चाहिये और बिना अध्ययन किये हुये लाते हैं तो संशोधन की फिर जरूरत पड़ जाती है । पिछली बार हमने देखा कि कई विधेयक जो इनका है, संशोधन में लाना पड़ा है ।

हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इसमें निर्माण के संबंध में आपने आधा कहा है, निर्माण का 10 हजार वर्गमीटर के बजाय 5 हजार वर्गमीटर कर दिया है, अच्छा किया है आपने, और भी थोड़ा समझ-बूझकर आसपास के, देश के कई राज्यों में निजी विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, उस मामले में हमारा बिहार काफी पीछे है,

सरकार का अच्छा प्रयास है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि फिर से इसका अध्ययन करके, लोगों की राय लेकर इस विधेयक को मजबूती से लाइये ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्त्तमान में हायर एजुकेशन के जी0आर0 को पकड़ने के लिये सरकार का भी प्रयास है, हमारे राज्य का जी0आर0 13.9 परसेंट है और नेशनल एवरेज उसका 25 परसेंट है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के लिये एक टारगेट फिक्स किया है 2020 के लिये कि 30 परसेंट जी0आर0 को लेकर जायेंगे । उस जी0आर0 को पकड़ने के लिये सरकार के एक प्रयास का यह पार्ट है ।

महोदय, हम दो-चार बात अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार ने इस जी0आर0 को पकड़ने के लिये ओपेन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से अध्ययन केन्द्र और ज्ञान संसाधन केन्द्र को खोलने का प्रयास किया है । नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से इस वर्ष 89 अध्ययन केन्द्र खोले गये हैं जबकि मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना के माध्यम से 100 से ज्यादा ज्ञान संसाधन केन्द्र खोलने का सरकार ने प्रयास किया है । माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में जी0आर0 में हम नेशनल एवरेज को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं । इसी क्रम में राज्य में उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक एवं परिणामात्मक सुधार तथा उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हेतु बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 लाया गया था । इस अधिनियम के तहत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय (Sponsoring Body) द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के समीक्षोपरांत निर्गत होने वाले आशय पत्र (Letter of intent) में अधिनियम की धारा 5 की उपधाारा (1) खण्ड (iii) में प्रशासनिक प्रयोजनार्थ तथा अकादमिक कार्यों के संचालन करने के लिए न्यूनतम 10 हजार वर्ग मीटर आच्छादित स्थान के निर्माण किये जाने का प्रावधान है । हमलोगों ने जो 2013 में लाया था, उसमें 10 हजार वर्गमीटर हमारा बेसिक है कि हमको यह रिक्वायरमेंट चाहिये । साथ-ही, अधिनियम की धारा 5 की उपधाारा (2) के प्रावधानानुसार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा आश्रय पत्र निर्गत होने के 2 साल के अंदर प्रायोजक निकाय को अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना है । LOI जब इशू करेगा स्टेट गवर्नमेंट, उसके दो साल के अंदर उसको प्रावधान को पूरा करना है । LOI के लिये भी कमिटी गठित है, जब ये पूरा बन जायेगा इनका यूनिवर्सिटी, जो एरिया है, जो मापदंड सरकार का है, फिर एक दूसरी कमिटी जायेगी, वह दोनों डिफरेंट कमिटी है, दूसरी कमिटी जाकर उसको देखेगी लेकिन इसके बाद इस बीच में हमलोगों ने देखा है कि जो इस देश के बहुत लक्षित जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं उनको कहीं न कहीं परेशानी हो रही है और उससे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के आने में समय लग रहा है । इसीलिये हमलोगों ने यह प्रावधान किया है कि LOI जब हम इशू करेंगे

और उनका जब काम शुरू हो जायेगा, In between हमने यह किया है कि उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक विकास तथा सकल नामांकन अनुपात में शीघ्र वृद्धि करने हेतु प्रायोजक निकाय को आशय पत्र में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने की वर्णित अवधि में स्थायी किराये के मकान में भवन विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी । यह जो स्पेस है, हमारा दो साल का, इस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिये so that कि हमारा जो जी0आर0 है उसको हम पकड़ने में सक्षम हो पायें, इसके लिये सिर्फ दो साल के लिये LOI का जो स्पेस है, हमलोग उसको यूटिलाइज करने के लिये दे रहे हैं ।

जो माननीय सदस्य हमारे कह रहे हैं और खुद माननीय विपक्ष के नेता ने भी कहा है कि बाकी राज्यों का भी आकलन कर लेना चहिये तो झारखंड जो हमारे बगल का प्रदेश है, हमने तो 5000 वर्गमीटर को अनुपालन किया है, हमने 50 परसेंट डिसकाउंट किया है सिर्फ दो साल के लिये लेकिन झारखंड में मात्र 2500 वर्गमीटर में दो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी चल रहे हैं – ऐमिटी और आई0एस0ई0सी0टी0 ।

...क्रमशः .....

टर्न–14/आजाद/29.03.2017

..... क्रमशः .....

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : ये दो यूनिवर्सिटी जो है, देश के बड़े विश्वविद्यालय हैं प्राइवेट सेक्टर में, ये दो विश्वविद्यालय चल रहे हैं । इसलिए हमलोगों ने उस बात को ध्यान में रखते हुए दो एमेंडमेंड करने का प्रयास किया है और हमने कहा है कि उन एमेंडमेंड करने में अगर यूनिवर्सिटी इनटेन्सीबली बन रहा है, जमीन का अधिग्रहण हो चुका है तो हम दो साल का और किराये के मकान में रहने के प्रावधान को एक्सटेंड करने का विशेष परिस्थिति में किया है । सो दैट कि जो बड़े यूनिवर्सिटी हमारे यहां हैं इस देश में , उसका लाभ बिहार के बच्चों को भी मिल सके, क्योंकि हमलोगों ने देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो समीक्षा हुई है, हमारे यहां के बहुत से बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बाहर में पढ़ते हैं और उस यूनिवर्सिटी का भी इन्ट्रेस्ट है कि हम पटना में आकर के, बिहार में आकर के अपने यूनिवर्सिटी लगाये । उनको हमलोग फैसीलेटेड करने के लिए यह प्रावधान किया है । इसलिए हम सदन से आग्रह करेंगे कि इस प्रस्ताव को पारित करने का विचार करे ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय मंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं झारखंड भाजपा मॉडल को लागू करते हैं ?

अध्यक्ष : आप धन्यवाद देना चाहते हैं या नहीं, वह अभी पता चल जायेगा । जब हम प्रस्ताव पर हां या ना करायेंगे तो पता चलेगा कि आप धन्यवाद दे रहे हैं या नहीं ?

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय मंत्री जी, बिहार में भी झारखंड भाजपा मॉडल को लागू कीजिये, 2500 पर ले जाईए तो जल्दी खुलेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार निजी विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक,2017 स्वीकृत हो । ''

अध्यक्ष : कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से रखता हूँ ।

प्रश्न यह है कि :-

''बिहार निजी विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक,2017 स्वीकृत हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : यूनिक इवेन्ट हुआ है, हां के पक्ष में भी हां बोले हैं और ना भी बोले हैं ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : सर्वसम्मति कर दीजिए महोदय ।

अध्यक्ष : अब तो स्वीकृत हो गया । लगता है कि गाड़ी छूट गई ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : कह रहे हैं तो करा दीजिए, इसमें क्या है ।

अध्यक्ष : फिर से करा देते हैं ।

सदन की राय से मैं इस प्रस्ताव को एक बार फिर से सदन के सामने रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार निजी विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक,2017 स्वीकृत हो । ''

मैं समझता हूँ कि सम्पूर्ण सदन इस विधेयक के पक्ष में है इसलिए यह विधेयक सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 29 मार्च,2017 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-48 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 30, मार्च, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....